17 मई 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. **इंद्रधनुष का निर्माण** (GS PAPER I: **भूगोल**)
2. **स्वास्थ्य संबंधी सलाह पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए** (17 **मई**) (GS PAPER III: **उच्च रक्तचाप**)
3. **क्या नौकरियों में आरक्षण केवल जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए**? (17 **मई**) (GS PAPER II: **आरक्षण**)
4. **दवा विकास में एआई का उपयोग** (17 **मई**) (GS PAPER III: **एआई**)
5. **क्या पार्टियों की मान्यता रद्द या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है**? (17 **मई**) (GS PAPER II: **राजनीति**)

PatrioticIAS

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए आरोपियों को गिरफ्तार करने की ईडी की शक्ति को सीमित किया (17 मई)

पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखा, कहा कि विशेष अदालतों द्वारा बुलाए गए लोगों को पीएमएलए के कठोर मानदंडों के तहत जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है; ईडी हिरासत में पूछताछ के लिए विशिष्ट आधार दिखाने के बाद अदालतों की सहमति से ही ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर सकता है

- सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संबंध में निर्णय दिया।
- उन्होंने फैसला सुनाया कि यदि किसी व्यक्ति को पीएमएलए के तहत विशेष अदालत द्वारा बुलाया जाता है, तो उसे हिरासत में नहीं माना जाएगा।
- इसलिए, यदि अभियुक्त सम्मन के अनुसार अदालत में उपस्थित होता है, तो उसे पीएमएलए की सख्त शर्तों के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

- न्यायालय ने विशेष अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद किसी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार को सीमित कर दिया।
- यदि प्रवर्तन निदेशालय आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहता है तो उसे उनकी हिरासत के लिए अलग से आवेदन करना होगा।
- उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट कारण बताने होंगे कि हिरासत में पूछताछ क्यों आवश्यक है।
- विशेष अदालत आरोपी व्यक्ति से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अंतर्गत बांड प्रस्तुत करने को कह सकती है।
- यह बांड एक वचनबद्धता है, जमानत नहीं, और इसके लिए अभियुक्त को पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत जमानत की कठोर शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- बांड स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी को पीएमएलए की सख्त शर्तों के अनुसार जमानत दे दी गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ तरसेम लाल की अपील पर आया।
- उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील की जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
- पीएमएलए की धारा 45 में जमानत के लिए कड़ी शर्तें लगाई गई हैं:
- अभियुक्त को अदालत में यह साबित करना होगा कि वे अपराध के मामले में प्रथम दृष्टया निर्दोष हैं।
- उन्हें न्यायाधीश को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि जमानत पर रहते हुए वे कोई अपराध नहीं करेंगे।
- इन परिस्थितियों में सबूत पेश करने का भार पूरी तरह से हिरासत में मौजूद अभियुक्त पर आ जाता है।
- इससे आरोपी व्यक्ति के लिए पीएमएलए के तहत जमानत प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है।
- इन परिस्थितियों में राज्य की सत्ता के विरुद्ध लड़ने का प्रयास करते समय अभियुक्तों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अधिक राहत

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में राहत प्रदान करते हुए कहा गया है कि विशेष अदालत में उपस्थित होने वाले अभियुक्त को भविष्य में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है।
- यदि कोई अभियुक्त सम्मन जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तो विशेष अदालत पहले जमानती वारंट और फिर गैर-जमानती वारंट जारी कर सकती है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अदालत में उपस्थित होने वाले व्यक्ति की हिरासत के लिए अलग से आवेदन करना होगा।
- हालांकि, अगर ईडी को पीएमएलए के तहत उसी अपराध के लिए आगे की जांच करने की जरूरत है, तो वे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जिसका नाम धारा 44(1)(बी) के तहत शिकायत में आरोपी के रूप में नहीं है, बशर्ते वे धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं का पालन करें।

PatrioticIAS

- इस मामले में यह पूछा गया कि क्या कोई अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता के नियमित प्रावधानों के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और यदि हां, तो क्या ऐसी जमानत याचिका को पीएमएलए की धारा 45 द्वारा लगाई गई दोहरी शर्तों को भी पूरा करना होगा।

- **अपवर्तन**: सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद में प्रवेश करता है और हवा की तुलना में पानी की सघन प्रकृति के कारण मुड़ जाता है (अपवर्तित हो जाता है)।
- **फैलाव**: जैसे ही प्रकाश मुड़ता है, यह अलग-अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, जिससे लाल (सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य) से लेकर बैंगनी (सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य) तक का स्पेक्ट्रम बनता है।
- **परावर्तन**: बूंद के अंदर, अलग हुए रंग पीछे की सतह से टकराते हैं और वापस परावर्तित हो जाते हैं।
- **पुनः अपवर्तन**: परावर्तित रंग बूंद से बाहर निकलते समय पुनः मुड़ जाते हैं, तथा अलग-अलग रंगों में विभाजित हो जाते हैं।
- **इंद्रधनुष देखना**:
  - एक पर्यवेक्षक इंद्रधनुष को तब देख सकता है जब वह सूर्य और वर्षा की बूंदों के सापेक्ष एक विशिष्ट कोण पर स्थित हो।
  - पानी की बूंदों से एक विशेष कोण पर निकलने वाला प्रकाश पर्यवेक्षक की आंख तक पहुंचता है, जिससे रंगीन चाप प्रभाव पैदा होता है।
- **इन्द्रधनुष की संगति**:
  - वर्षा की बूंदों से प्रकाश के प्रकीर्णन के कोण के अनुरूप होने के कारण, सभी को इंद्रधनुष एक ही रंग क्रम (लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी) के साथ दिखाई देता है।
  - इंद्रधनुष एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक प्रकाशीय घटना है जो पर्यवेक्षक के स्थान और सूर्य के प्रकाश और वर्षा की बूंदों के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है।

Patriotic

कोवैक्सिन लेने के बाद किशोरियों को खतरा है (17 मई)

- किशोरियों और सह-रुग्णताओं वाले व्यक्तियों में कोवैक्सीन (बीबीवी152) लगने के बाद प्रतिकूल घटनाओं का जोखिम अधिक होता है।
- यह रिपोर्ट स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित हुई।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया अध्ययन।
- यह अध्ययन अवलोकनात्मक था और उत्तर भारत में किया गया था।
- लगभग एक तिहाई प्रतिभागियों ने विशेष रुचि की प्रतिकूल घटनाओं (एईएसआई) की सूचना दी।
- टीका प्राप्त करने वाले 1% लोगों में गंभीर प्रतिकूल घटनाएं हो सकती हैं।
- टीकाकरण के बाद विस्तारित निगरानी की सिफारिश की जाती है।
- भारत बायोटेक ने द हिन्दू को जवाब देते हुए सुरक्षा अध्ययनों में पूर्वाग्रह से बचने के लिए कुछ डेटा बिंदुओं की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन के उत्कृष्ट सुरक्षा रिकॉर्ड को दर्शाने वाले कई अध्ययनों का हवाला दिया।
- अध्ययन में 1,024 प्रतिभागी शामिल थे; 635 किशोरों और 291 वयस्कों का एक वर्ष तक अनुवर्तन किया गया।
- 47.9% किशोरों और 42.6% वयस्कों में ऊपरी श्वसन पथ के वायरल संक्रमण की सूचना मिली।
- किशोरों में सामान्य ए.ई.एस.आई.: नई त्वचा और चमड़े के नीचे संबंधी विकार (10.5%), सामान्य विकार (10.2%), तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार (4.7%)।
- वयस्कों में सामान्य ए.ई.एस.आई.: सामान्य विकार (8.9%), मस्कुलोस्केलेटल विकार (5.8%), तंत्रिका तंत्र विकार (5.5%)।
- 4.6% महिला प्रतिभागियों में मासिक धर्म संबंधी असामान्यताएं देखी गईं।

कोई नुकसान न करें: हिस्टेरेक्टॉमी की बजाय रूढ़िवादी, गैर-सर्जिकल दृष्टिकोण की सलाह दी जाती है (17 मई)

कई मामलों में, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थितियों पर डेटा की कमी है; इसलिए वास्तविक परिमाण कभी पता नहीं चल पाता, जिससे फंडिंग में बाधा आती है और नीति निर्माताओं का ध्यान इस पर नहीं जाता। इन मुद्दों को संबोधित करने, इन बीमारियों की प्रोफ़ाइल बढ़ाने और देश भर की महिलाओं को उनके उपचारों के बारे में जागरूक करने के लिए डेटा की उपलब्धता मूल में है।

- देश में महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उपलब्ध आंकड़ों का काफी अभाव है।
- महिलाओं की स्वास्थ्य स्थितियों पर आंकड़ों के अभाव का अर्थ है कि इन मुद्दों की वास्तविक गंभीरता अज्ञात है।
- आंकड़ों की कमी के कारण वित्तपोषण में बाधा आती है तथा नीति निर्माताओं का ध्यान इन मुद्दों की ओर नहीं जाता।

Patriot IAS

- इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए देश भर में महिलाओं के बीच इन रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके बारे में जानकारी देने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता है।
- महिला प्रजनन स्वास्थ्य में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत में 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं में हिस्टेरेक्टोमी के कारणों की जांच की गई है।
- अध्ययन में हिस्टेरेक्टोमी के प्रचलन और इसके कारणों का विश्लेषण करने के लिए भारत में लान्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी (एलएएसआई) वेव-1 डेटासेट का उपयोग किया गया है।
- लेखकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हिस्टेरेक्टोमी पर राष्ट्रव्यापी आंकड़े सीमित हैं, तथा अधिकांश साहित्य विकसित देशों या क्लिनिक-आधारित नमूनों से आता है।
- यह भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि डेटासेट का उपयोग करके हिस्टेरेक्टॉमी पर पहली जनसंख्या-आधारित जांच है।
- अध्ययन का उद्देश्य हिस्टेरेक्टॉमी और इस प्रक्रिया से गुजरने के कारणों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करना है, जिसे पहली बार राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण की चौथी लहर में शामिल किया गया था।

बार-बार की जाने वाली प्रक्रिया

- हिस्टेरेक्टॉमी, या गर्भाशय को हटाना, विश्व भर में महिलाओं पर की जाने वाली सबसे आम सर्जरी में से एक है।
- प्रौद्योगिकी में प्रगति ने न्यूनतम-आक्रामक हिस्टेरेक्टॉमी प्रक्रियाओं को संभव बना दिया है।
- गुन्नल एट अल के अनुसार , दुनिया भर में हिस्टेरेक्टॉमी के सबसे आम कारणों में फाइब्रॉएड (47.6%), यूटेरोवैजिनल प्रोलैप्स (13.4%), सौम्य डिम्बग्रंथि अल्सर (12%), घातकता (9%), और एडेनोमायसिस (6%) शामिल हैं।
- कभी-कभी, हिस्टेरेक्टॉमी में महिला प्रजनन प्रणाली के अन्य भागों जैसे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय ग्रीवा को भी हटाया जा सकता है।
- यह सर्जरी आमतौर पर स्त्री रोग संबंधी विकारों के लक्षणों जैसे अनियमित रक्तस्राव, मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव, पैल्विक दर्द और शारीरिक परेशानी को कम करने के लिए की जाती है।
- कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि हिस्टेरेक्टॉमी से चिंता और अवसाद में भी कमी आ सकती है तथा महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है।
- इसके स्वास्थ्य लाभों के बावजूद, हिस्टेरेक्टॉमी के दीर्घकालिक परिणाम होते हैं, जिनमें समय से पहले रजोनिवृत्ति, हृदय रोग, स्ट्रोक, मूत्र असंयम, मोटापा, अंतःस्रावी और चयापचय संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ना तथा यौन इच्छा में कमी शामिल है।
- हिस्टेरेक्टॉमी के अतिरिक्त परिणामों में अस्थि खनिज घनत्व की हानि, वाहिका-प्रेरक लक्षण, दुर्बलता, अवसाद और संज्ञानात्मक कार्य में गिरावट शामिल हैं।
- LASI वेव-1 अध्ययन में भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (सिक्किम को छोड़कर) से 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के 72,250 लोगों का पैनल नमूना शामिल था।
- LASI वेव-1 में महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक समर्पित मॉड्यूल में प्रतिभागियों से पूछा गया कि क्या उन्होंने हिस्टेरेक्टॉमी करवाई है, इसके बाद प्रक्रिया के कारणों पर प्रश्न पूछे गए।

सर्वाधिक उद्धृत कारण

PatrioticIAS

- भारी मासिक धर्म रक्तस्राव या दर्द (32.1%), फाइब्रॉएड या सिस्ट (24.2%), और गर्भाशय आगे को बढ़ाव (16.3%) हिस्टेरेक्टॉमी कराने के सबसे सामान्य कारण हैं।
- कैंसर और गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसे कारणों से गर्भाशय-उच्छेदन के मामले कम ही देखे गए।
- भारत में हिस्टेरेक्टॉमी की राष्ट्रव्यापी व्यापकता दर 11.5% है, जिसमें दक्षिणी (18.2%) और पश्चिमी (12.7%) क्षेत्रों में यह दर सबसे अधिक है।
- लेखकों का सुझाव है कि भारत में गर्भाशय-उच्छेदन का एक बड़ा हिस्सा अनावश्यक हो सकता है और देश के कुछ भागों में डॉक्टरों द्वारा इसकी सलाह दी जाती है, जिसके लिए सख्त सरकारी विनियमन की आवश्यकता है।
- सामाजिक-जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए अध्ययन में पाया गया कि ओबीसी श्रेणी की महिलाएं, सबसे अमीर वर्ग की महिलाएं, कम शिक्षा स्तर वाली महिलाएं, तथा कम उम्र में विवाह करने वाली महिलाओं में गर्भाशय-उच्छेदन कराने का जोखिम अधिक होता है।
- तीन या अधिक बच्चों वाली महिलाओं में भी इस प्रक्रिया से गुजरने की संभावना अधिक होती है।
- इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले वर्ष अनावश्यक हिस्टेरेक्टोमी को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
- दिशा-निर्देशों में भारत में युवा महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा गरीब, कम शिक्षित महिलाओं में गर्भाशय-उच्छेदन की बढ़ती दर पर चिंता व्यक्त की गई है।
- ऐसी खबरें हैं कि अनावश्यक रूप से गर्भाशय-उच्छेदन किया गया, जबकि इसके लिए चिकित्सीय या गैर-आक्रामक उपचार पर्याप्त हो सकता था।
- चिंताओं में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ के लिए संभावित दबाव तथा दुष्प्रभावों के बारे में महिलाओं को दी जाने वाली जानकारी का अभाव शामिल है।
- एनएफएचएस-5 (2019-2021) के अनुसार, 15-49 वर्ष की आयु की 3.3% महिलाओं ने हिस्टेरेक्टॉमी करवाई, जो एनएफएचएस-4 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) में बताए गए 3.2% से थोड़ा अधिक है।
- आश्चर्य की बात यह है कि जिन महिलाओं ने हिस्टेरेक्टोमी कराया उनमें से 50% ने 35 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही ऐसा करा लिया।
- एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में हिस्टेरेक्टॉमी की औसत व्यापकता दर 15-49 वर्ष की आयु की प्रति 1,000 विवाहित महिलाओं में 17 है।
- आंध्र प्रदेश में हिस्टेरेक्टॉमी की व्यापकता दर सबसे अधिक है, जो 1,000 महिलाओं में 63 है, इसके बाद तेलंगाना (1,000 महिलाओं में 55), कर्नाटक (1,000 महिलाओं में 29) तथा पंजाब (1,000 महिलाओं में 23) का स्थान है।

मंत्रालय के दिशानिर्देश

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) के दस्तावेज में भारत में हिस्टेरेक्टॉमी के लिए सामान्य संकेत बताए गए हैं: असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव/अकार्यात्मक गर्भाशय रक्तस्राव, योनि स्राव, पेट के निचले हिस्से में दर्द/श्रोणि सूजन रोग, असामान्य दिखने वाला गर्भाशय ग्रीवा, और यूटेरोसर्विकोवैजाइनल प्रोलैप्स।

Patriots IAS

- स्त्री रोग संबंधी रोगों के लिए वैकल्पिक उपचार विधियों के बारे में स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाकर अनावश्यक हिस्टेरेक्टोमी को रोकने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है ।
- प्रसूति विशेषज्ञों के अनुसार, महिलाओं को प्रजनन कार्य सौंपने वाले पितृसत्तात्मक मानदंड, बड़ी संख्या में किए जाने वाले हिस्टेरेक्टोमी का एक कारण हो सकते हैं।
- वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा दक्षिण भारत की प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसायटी की पूर्व अध्यक्ष डॉ. जयश्री गजराज हिस्टेरेक्टोमी के अत्यधिक उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं। वह बताती हैं कि अक्सर ऐसी स्थितियों के लिए सर्जरी की सलाह दी जाती है जिन्हें रूढ़िवादी तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, और मरीज़ कभी-कभी इस प्रक्रिया के लिए सहमत होने से डरते हैं।
- हिस्टेरेक्टोमी की सलाह कभी-कभी श्वेत प्रदर, छोटे फाइब्रॉएड या असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव जैसी स्थितियों के लिए दी जाती है, जिनका उपचार चिकित्सकीय या रूढ़िवादी तरीके से किया जा सकता है।
- डॉ. गजराज युवा महिलाओं को 28 या 30 वर्ष की आयु में ही, विशेषकर प्रसव के बाद, गर्भाशय-उच्छेदन की सलाह देने की प्रथा की आलोचना की गई है , जबकि हार्मोन प्रतिस्थापन थेरेपी जैसे विकल्प नहीं सुझाए गए हैं।
- वह शल्य चिकित्सा पद्धतियों में विसंगतियों की ओर इशारा करती हैं, जैसे कि केवल एक अंडाशय को निकालना, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं रखता।
- हालांकि, डॉ. गजराज ने बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञों के एक छोटे से वर्ग में हिस्टेरेक्टोमी की संख्या में काफी कमी आई है, और चिकित्सा प्रबंधन और प्रभावी उपचार दर्द और रक्तस्राव से राहत प्रदान कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, उन्होंने हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाले असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लिए मिरेना इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को एक बहुत ही प्रभावी उपचार बताया।
- केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि हिस्टेरेक्टॉमी पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब कम आक्रामक उपचार का प्रयास किया गया हो।
- स्त्रीरोग संबंधी स्थितियों के लिए निश्चित उपचार है।

हिस्टेरेक्टॉमी यह गर्भाशय को हटाने की एक शल्य प्रक्रिया है, जो वह अंग है जहां गर्भावस्था के दौरान बच्चा बढ़ता है।

- **हिस्टेरेक्टॉमी के प्रकार** :
  1. **सम्पूर्ण हिस्टेरेक्टॉमी** : इसमें सम्पूर्ण गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को निकाल दिया जाता है।
  2. **सुप्रासर्विकल हिस्टेरेक्टॉमी** : इसमें गर्भाशय के ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है, तथा गर्भाशय ग्रीवा को बरकरार रखा जाता है।
  3. **रेडिकल हिस्टेरेक्टॉमी** : इसमें गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, आसपास के ऊतकों और लिम्फ नोड्स को हटा दिया जाता है, जो आमतौर पर कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है।
  4. **योनि हिस्टेरेक्टॉमी** : योनि के माध्यम से गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटा दिया जाता है।
  5. **उदरीय हिस्टेरेक्टॉमी** : निचले पेट में चीरा लगाकर गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को निकाल दिया जाता है।

PatriotIAS

6. **लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टॉमी** : लैप्रोस्कोप का उपयोग करके पेट में छोटे चीरों के माध्यम से गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटा दिया जाता है।

- **हिस्टेरेक्टॉमी के कारण** :
  - भारी या लंबे समय तक मासिक धर्म रक्तस्राव।
  - पेडू में दर्द।
  - गर्भाशय फाइब्रॉएड (गर्भाशय में गैर-कैंसरकारी ट्यूमर)।
  - एंडोमेट्रियोसिस (गर्भाशय के बाहर बढ़ने वाला गर्भाशय की परत के समान ऊतक)।
  - गर्भाशय भ्रंश (जब गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति से नीचे खिसक जाता है)।
  - गर्भाशय, गर्भाशय-ग्रीवा या अंडाशय का कैंसर।
- **हिस्टेरेक्टॉमी से रिकवरी** :
  - अस्पताल में रहने का समय : हिस्टेरेक्टॉमी के प्रकार के आधार पर आमतौर पर 1 से 3 दिन।
  - घर पर रिकवरी: आमतौर पर 4 से 6 सप्ताह लगते हैं।
  - रिकवरी के दौरान आराम करना और कठिन गतिविधियों से बचना महत्वपूर्ण है।

वेस्ट नाइल बुखार एक मच्छर जनित बीमारी है जो वेस्ट नाइल वायरस (WNV) के कारण होती है। यह वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है।

- **संचरण**: संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है
- **लक्षण**:
  - 80% संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते।
  - संक्रमित लोगों में से 20% में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, दस्त या चकत्ते जैसे फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
  - संक्रमित लोगों में से 1% से भी कम लोगों में केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी विकसित होती है, जिसमें तेज बुखार, सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, मूर्च्छा, भटकाव, कोमा, कम्पन, ऐंठन, मांसपेशियों में कमजोरी, दृष्टि हानि, सुन्नता और पक्षाघात शामिल हो सकते हैं।
- **उपचार**: वेस्ट नाइल बुखार के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन सहायक देखभाल लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है।

रोकथाम: वेस्ट नाइल बुखार को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है। मच्छर के काटने से बचाव ही आपके जोखिम को कम करने की कुंजी है।

Patriot IAS

Health advice to take with no pinch of salt

Dr. Chandrakant Lahariya

a medical doctor, was formerly with the World Health Organization. He is a consultant physician at the Centre for Health and Wellness, a primary health-care initiative based out of New Delhi

Dr. Balram Bhargava

a medical doctor and cardiologist, is the former Director General of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, and, currently, President of the National Academy of Sciences, India

In the last three years, the COVID-19 vaccine has generated a lot of public interest as a possible risk factor for blood clot formation, resulting in sudden cardiac arrest. However, a proven, bigger, and preventable risk factor for heart attack and brain stroke, i.e., hypertension, rarely gets due public attention. Let us dive deep into high blood pressure and its public health relevance.

In 2023, the World Health Organization (WHO) released a report, the first ever on hypertension, titled "Global report on hypertension: the race against a silent killer". Hypertension was considered a silent killer as people often are not aware about high blood pressure till they develop complications. High blood pressure is the singlemost important risk factor for early deaths, leading to an estimated 10.8 million preventable deaths every year, globally. High blood pressure causes more deaths than other leading risk factors, such as tobacco use and high blood sugar. The number of adults with hypertension nearly doubled in the last three decades (since 1990) to reach 1.3 billion. Globally, an estimated 46% of adults with hypertension are unaware that they have the condition, and less than half (42%) with hypertension are diagnosed and treated. Only one in five adults (21%) with hypertension has it under control.

The Indian Council of Medical Research-INdia DIABetes (ICMR-INDIAB) study has estimated that in India, 311 million people (or one in every three adults) have hypertension. In the country, adults with hypertension are threefold of the estimated 101 million people living with diabetes.

Cut the salt

Excess dietary salt intake (five grams or more per day), one of the key risk factors to hypertension, contributed to two million cardiovascular disease deaths in 2019. Research studies have shown that by reducing salt, cardiovascular disease risks can be reduced by 30% and mortality by 20%. Indian adults consume on average eight to 11 grams of salt per day, which is approximately twice that of the WHO recommended daily salt intake. High salt intake is responsible for an estimated 1,75,000 deaths in India.

Hypertension is not an issue for any one socio-economic group. A Delhi-based non-governmental organisation, Foundation for People-centric Health Systems, conducted 50 health camps in five localities of Delhi and Gurugram, from October 2023 to March 2024, and screened and treated around 12,000 people. Most of the people were women, migrant workers, and rickshaw and taxi drivers, nearly all from low income groups. A large number of them were found to have diabetes and hypertension, a majority of cases detected for the first time in these camps, indicating the gaps in terms of awareness, detection and treatment.

In India, the government has set a target of putting 75 million people with hypertension and/or diabetes on standard care by 2025. The India Hypertension Control Initiative (IHCI), a collaborative project of the ICMR, Ministry of Health and Family Welfare/Directorate General of Health Services, WHO India and other partners, was initiated in November 2017 in 25 districts in five States of India.

Indians need to have greater awareness about the long-term impact of untreated hypertension and the danger of excess dietary salt intake

Simple and scalable

The IHCI follows five simple and scalable strategies, implemented through primary health care. The IHCI rolled out simplified drug and dose-specific treatment protocols for primary-care settings. It also focused on strengthening the drug supply chain by including protocol-based drugs in the State essential drug list; the forecasting of drugs based on morbidity, and ensuring adequate budget allocation in annual plans to purchase hypertension medication. The IHCI has also followed team-based and decentralised care. In addition, components to make health services patient-centric by measures such as the dispensing of 30 days of medicine in every patient visit are part of the initiative. It has also used information systems for programme monitoring.

Nearly six years of IHCI implementation has resulted in two major programmatic learnings. First, the development of simple treatment protocols with fewer drugs, ensuring reliable drug supply, linking patients to facilities closer to home for follow-up and engaging teams increases access and utilisation of health services from government facilities, by bringing people to health services. Second, simplified programme monitoring makes programme performance assessment both quantifiable and actionable. The IHCI won the '2022 UN Interagency Task Force, and WHO Special Programme on Primary Health Care Award'. The IHCI was expanded to 140-plus districts of India, in 2023.

Seventy-six million cardiovascular deaths and 450 million disability adjusted life years (DALYs) would be avoided, if countries, with proven interventions, mobilise to achieve the goal of 50% population hypertension control by 2050. An estimated 4.6 million deaths can be prevented in India by 2040 if half the hypertensive population has its blood pressure under control. This will help countries achieving the targets under their National Health Policy along with global targets and commitments such as universal health coverage.

What should be done? First, raise awareness about the risk of and long-term adverse impact of untreated hypertension. High blood pressure can affect the entire vascular system (multiple organs including the heart, kidneys, brain and eyes).

Second, scale up evidence-based public health interventions such as the IHCI. Strategies and lessons from such experiences should be used to design and implement interventions to prevent and control other lifestyle diseases such as diabetes mellitus and chronic kidney diseases.

Third, the interventions in health programmes are often targeted on modifiable risk factors. However, there are non-modifiable risk factors such as family history, an age of over 65 years and pre-existing comorbidities such as diabetes and/or kidney disease, all of which make a person at higher risk of hypertension. India already has a high burden of each of these non-modifiable risk factors: high burden of hypertension (a family risk factor for future generation); high burden of comorbidities and a rapidly rising elderly population. Therefore, hypertension control initiatives in India need to focus on the healthy adults as well, who may have known non-modifiable risk factors.

Fourth, intensify efforts to reduce dietary salt consumption using strategies such as 'SHAKE the salt habit' under the WHO's HEARTS strategy. Under SHAKE, there are five approaches: of Surveillance to measure and monitor salt use; Harness industry to promote and reformulate foods and meals that contain less salt; A adopt to standard labelling and marketing; Knowledge, educate and communicate to empower individuals to eat less salt; Environment – support settings that promote healthy eating.

Fifth, lifestyle diseases demand multi-sectoral actions. In 2017, India developed and approved a multi-sectoral plan for the prevention and the control of non-communicable diseases. These plans must be revisited and more concrete actions done by key sectors. We need to leapfrog to this as soon as possible.

Sixth, having informed citizens is the key to control hypertension at the population level. Raise awareness about salt in food. There is invisible salt in the form of pickles, breads, *namkeen* and *papad*. Food packages need to have better labelling of items/packets in terms of low, medium and high salt content. People also need to be sensitised to read food package labels and make informed decisions.

Seventh, stronger enforcement of food regulation in India has the potential to prevent many diseases and reduce the burden on health services. There needs to be higher taxation on high salt (and also high sugar, high fat) food and other packaged products.

Regular BP checks

Take Control. Regular checking of one's blood pressure should become an integral part of lifestyle. Access to BP apparatus needs to be increased in public places such as malls, shops and pharmacies, where people can have their BP measured either free or at nominal and affordable charges. Every office and workplace needs to have a functional BP apparatus and employees should be encouraged to check their BP regularly. Every single visit to health-care providers should be used to measure one's BP. Physicians should advise/sensitise people to measure and monitor their BP.

स्वास्थ्य संबंधी सलाह पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए (17 मई) (GS PAPER III: उच्च रक्तचाप)

भारतीयों को अनुपचारित उच्च रक्तचाप के दीर्घकालिक प्रभाव और आहार में अत्यधिक नमक के सेवन के खतरे के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है

- COVID-19 **वैक्सीन और रक्त के थक्के** :
    - हाल ही में, कोविड-19 टीकों के कारण रक्त के थक्के बनने और अचानक हृदयाघात होने की संभावना के बारे में सार्वजनिक चिंता व्यक्त की गई है।
- **उच्च रक्तचाप** :
    - उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए एक महत्वपूर्ण, रोकथाम योग्य जोखिम कारक है।
    - इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणामों के बावजूद अक्सर इस पर पर्याप्त सार्वजनिक ध्यान नहीं दिया जाता।
- **उच्च रक्तचाप पर डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट** (2023) :
    - रिपोर्ट का शीर्षक है "उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट: एक मूक हत्यारे के विरुद्ध दौड़"।
    - उच्च रक्तचाप को मूक हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि लोगों को अक्सर तब तक पता नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है, जब तक जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो जातीं।
    - उच्च रक्तचाप असमय मृत्यु का प्रमुख जोखिम कारक है, जिसके कारण प्रतिवर्ष अनुमानतः 10.8 मिलियन रोकी जा सकने वाली मौतें होती हैं।
    - इससे तम्बाकू के उपयोग और उच्च रक्त शर्करा की तुलना में अधिक मौतें होती हैं।
- **वैश्विक आंकड़े** :
    - 1990 के बाद से उच्च रक्तचाप से पीड़ित वयस्कों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 1.3 बिलियन तक पहुंच गयी है।
    - उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग 46% वयस्क अपनी स्थिति से अनभिज्ञ हैं।
    - उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे से भी कम (42%) लोगों का निदान और उपचार हो पाता है।
    - उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 21% वयस्क ही इसे नियंत्रण में रख पाते हैं।
- **भारत में उच्च रक्तचाप** :
    - आईसीएमआर-इंडियाबी अध्ययन के अनुसार, भारत में 311 मिलियन लोग (तीन वयस्कों में से एक) उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं।
    - यह देश में मधुमेह से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या का तीन गुना है, जो 101 मिलियन है।

नमक कम करें

PatriotIAS

- अत्यधिक नमक का सेवन (प्रतिदिन 5 ग्राम या अधिक) उच्च रक्तचाप का एक प्रमुख जोखिम कारक है।
- 2019 में, अधिक नमक के सेवन से 2 मिलियन लोगों की हृदय रोग से मृत्यु हुई।
- नमक का सेवन कम करने से हृदय रोग का जोखिम 30% और मृत्यु दर 20% तक कम हो सकती है।
- भारतीय वयस्क प्रतिदिन 8 से 11 ग्राम नमक का सेवन करते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मात्रा से दोगुना है।
- अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष अधिक नमक के सेवन से 175,000 लोगों की मृत्यु होती है।
- उच्च रक्तचाप सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों को प्रभावित करता है।
- दिल्ली के एक एनजीओ ने अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक 50 स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 12,000 लोगों की जांच और उपचार किया।
- अनेक प्रतिभागियों, जिनमें अधिकतर महिलाएं, प्रवासी श्रमिक और निम्न आय वाले व्यक्ति थे, में मधुमेह और उच्च रक्तचाप का निदान नहीं हो पाया।
- इससे इन स्थितियों के बारे में जागरूकता, पहचान और उपचार में महत्वपूर्ण अंतराल का संकेत मिलता है।
- भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक उच्च रक्तचाप और/या मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करना है।
- नवंबर 2017 में शुरू की गई भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (आईएचसीआई) एक सहयोगी परियोजना है जिसमें आईसीएमआर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डब्ल्यूएचओ इंडिया और अन्य भागीदार शामिल हैं, जो शुरुआत में पांच राज्यों के 25 जिलों को लक्षित कर रही है।

सरल और स्केलेबल

- आईएचसीआई प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली पांच सरल रणनीतियों का पालन करता है:
- सरलीकृत दवा और खुराक-विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल।
- प्रोटोकॉल आधारित दवाओं को राज्य की आवश्यक औषधि सूची में शामिल करके तथा पर्याप्त बजट आवंटन सुनिश्चित करके औषधि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया गया।
- टीम आधारित एवं विकेन्द्रित देखभाल।
- प्रत्येक विजिट पर 30 दिनों की दवा वितरित करने जैसे रोगी-केंद्रित उपाय।
- कार्यक्रम निगरानी के लिए सूचना प्रणालियों का उपयोग।
- आईएचसीआई के कार्यान्वयन के लगभग छह वर्षों में दो प्रमुख सीखें सामने आईं:
- सरल उपचार प्रोटोकॉल, विश्वसनीय दवा आपूर्ति, रोगियों को निकटवर्ती सुविधाओं से जोड़ना, तथा टीम सहभागिता से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और उपयोगिता में वृद्धि होती है।
- सरलीकृत कार्यक्रम निगरानी से कार्यनिष्पादन मूल्यांकन को मात्रात्मक और कार्यान्वयन योग्य बनाया जा सकता है।
- आईएचसीआई ने '2022 संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर डब्ल्यूएचओ विशेष कार्यक्रम पुरस्कार' जीता।
- 2023 तक भारत में 140+ जिलों तक विस्तार किया जाएगा।

PolityIAS

- 2050 तक 50% जनसंख्या का उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण प्राप्त करने से वैश्विक स्तर पर 76 मिलियन हृदय संबंधी मृत्यु और 450 मिलियन DALYs से बचा जा सकता है।
- भारत में उच्च रक्तचाप से ग्रस्त आधी आबादी में रक्तचाप को नियंत्रित करने से 2040 तक 4.6 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है।
- इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जैसी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

- **जागरूकता बढ़ाएं** :
    - लोगों को अनुपचारित उच्च रक्तचाप के जोखिम और दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में जानकारी दें।
    - बताएं कि उच्च रक्तचाप हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क और आंखों सहित कई अंगों को कैसे प्रभावित करता है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देना** :
    - आईएचसीआई जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करें।
    - मधुमेह और क्रोनिक किडनी रोगों जैसी अन्य जीवनशैली संबंधी बीमारियों के लिए हस्तक्षेप डिजाइन करने हेतु सफल रणनीतियों का उपयोग करें।
- **लक्ष्य गैर-परिवर्तनीय जोखिम कारक** :
    - पारिवारिक इतिहास, 65 वर्ष से अधिक आयु, तथा मौजूदा स्थितियों (मधुमेह, गुर्दे की बीमारी) जैसे कारकों को स्वीकार करें जो उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ाते हैं।
    - इन जोखिम कारकों वाले स्वस्थ वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करें।
- **नमक का सेवन कम करें** :
    - डब्ल्यूएचओ की "नमक की आदत से छुटकारा" रणनीति को लागू करें:
        - **निगरानी** : नमक के उपयोग पर नज़र रखें।
        - **उद्योग का उपयोग करें** : कम नमक वाले खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें।
        - **लेबलिंग अपनाएं** : नमक सामग्री लेबल को मानकीकृत करें।
        - **ज्ञान** : लोगों को नमक के सेवन के बारे में शिक्षित करें।
        - **पर्यावरण** : स्वस्थ भोजन वातावरण का समर्थन करें।
- **बहु-क्षेत्रीय कार्यवाहियाँ** :
    - गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत की बहु-क्षेत्रीय योजना पर पुनर्विचार करना और उस पर कार्य करना।

PatriotIAS

    - प्रमुख क्षेत्रों को ठोस कार्यों में शामिल करना।
- **जागरूक नागरिक** :
    - अचार, ब्रेड, नमकीन और पापड़ जैसे खाद्य पदार्थों में छिपे नमक के बारे में जागरूकता बढ़ाएं ।
    - खाद्य पैकेज पर नमक की मात्रा के लिए लेबलिंग में सुधार करें।
    - लोगों को लेबल पढ़ने और सूचित विकल्प चुनने के लिए शिक्षित करें।
- **मजबूत खाद्य विनियमन** :
    - बीमारियों को रोकने के लिए सख्त खाद्य नियम लागू करें।
    - अधिक नमक, चीनी और वसा वाले खाद्य पदार्थों पर कर बढ़ाएँ।

नियमित रक्तचाप जांच

- अपनी जीवनशैली में नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें।
- मॉल, दुकानों और फार्मेसियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रक्तचाप मशीनों की पहुंच बढ़ाएं।
- सुनिश्चित करें कि कार्यालयों और कार्यस्थलों पर रक्तचाप मशीनें हों और कर्मचारियों को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास प्रत्येक दौरे के दौरान रक्तचाप मापें।
- चिकित्सकों को लोगों को अपने रक्तचाप की नियमित निगरानी करने की सलाह देनी चाहिए।

संक्षिप्त सोशल मीडिया सामग्री के साथ राजनीति परोसी गई (17 मई)

- भारत सहित पूरे विश्व में सूचना प्रसार में तेजी से बदलाव हो रहा है।
- पारंपरिक विश्लेषण अक्सर सूचना के माध्यम पर केंद्रित होते हैं।
- हालाँकि, सोशल मीडिया के उदय के कारण मानव मनोविज्ञान में गहन बदलाव आ रहे हैं।
- तात्कालिक संतुष्टि एक आदर्श बन गई है, जिसका प्रभाव राजनीतिक आख्यानों पर पड़ रहा है।
- इन परिवर्तनों से चुनाव परिणाम बदलने की सम्भावना है।
- भारत में स्थानीय भाषाओं में सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है।
- डिजिटल क्षेत्र काफी हद तक अनियमित है, जिससे गलत सूचना फैलने में योगदान मिलता है।
- राजनीतिक माहौल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एवं ध्रुवीकृत है।
- विघटनकारी गलत सूचना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सतर्कता आवश्यक है।

उद्देश्य के रूप में 'वायरल होना'

Pathfinder IAS

- हालिया अध्ययन से पता चलता है कि दो दशकों में मानव का ध्यान अवधि 2.5 मिनट से घटकर 45 सेकंड रह गई है।
- एक मिनट से कम अवधि के वीडियो और संक्षिप्त लेख जैसी छोटी सोशल मीडिया सामग्री अब बहुत लोकप्रिय हो रही है।
- वायरल सामग्री का उत्पादन आसान है और यह तेजी से फैलती है।
- सोशल मीडिया एल्गोरिदम वास्तविक और तथ्यात्मक आख्यानों की तुलना में वायरल सामग्री को प्राथमिकता देते हैं।
- इससे अज्ञात व्यक्तियों को अल्पावधि के ध्यान द्वारा प्रभावशाली बनने का अवसर मिल जाता है।
- राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति का अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं।
- भारत में भाजपा की सोशल मीडिया पर उपस्थिति कांग्रेस से अधिक प्रभावी मानी जाती है।
- भाजपा का सोशल मीडिया पर प्रभुत्व फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों को शीघ्र अपनाने से जुड़ा है।
- कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव के बाद ही सोशल मीडिया में महत्वपूर्ण निवेश करना शुरू किया।
- कांग्रेस के प्रयासों के बावजूद, भाजपा अभी भी सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या और सहभागिता में सबसे आगे है।
- हालाँकि, सोशल मीडिया का परिदृश्य लगातार बदल रहा है।

भूमिकाओं का उलटा होना

- वायरल राजनीतिक सामग्री शीघ्रता से राजनीतिक आख्यानों को आकार देती है और फैलाती है।
- इसका हालिया उदाहरण ध्रुव राठी का वीडियो "क्या भारत तानाशाही बन रहा है" है जो काफी वायरल हुआ।
- इस वीडियो ने विभिन्न प्लेटफार्मों पर चर्चा को जन्म दिया, जो राजनीतिक विपक्ष द्वारा पोस्ट किए गए किसी भी वीडियो से अधिक था।
- वीडियो की जानकारी नई नहीं थी, लेकिन इसे वायरल होने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें कम समय के लिए आसानी से संपादन योग्य एक मिनट के खंड थे।
- वीडियो को कई 'शॉर्ट्स' में विभाजित किया गया, तर्कों को सरल बनाया गया और संदर्भ को नजरअंदाज किया गया, जिससे यह तेजी से फैल गया।
- भाजपा समर्थकों को वीडियो द्वारा स्थापित कथानक का खंडन करने में कठिनाई हुई।
- विपक्ष ने वीडियो की लोकप्रियता का फायदा उठाया और इसे दो सप्ताह से अधिक समय तक जनता के सामने रखा, जिससे भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में आ गई।
- यह मामला एक बदलाव को दर्शाता है जहां स्वतंत्र सामग्री निर्माता कथानक निर्धारित करते हैं और राजनीतिक दल उसे आगे बढ़ाते हैं।
- विपक्ष वायरल सामग्री बनाने के लिए स्वतंत्र प्रभावशाली लोगों पर अधिकाधिक निर्भर हो रहा है, तथा फिर राजनीतिक नेताओं के माध्यम से उसे बढ़ावा दे रहा है।

अब विश्लेषण अधिक कठिन है

PatrioticIAS

- मीडिया में बदलती भूमिकाएं इसकी जांच और संतुलन को प्रभावित करती हैं, जिससे वे कम प्रासंगिक हो जाते हैं।
- विषय-वस्तु का सृजन अधिक लोकतांत्रिक हो गया है, तथा एल्गोरिदम तत्काल संतुष्टि को तरजीह देते हैं।
- सोशल मीडिया ने बड़े खर्च के प्रभाव को कम करके खेल के मैदान को समतल कर दिया है।
- सोशल मीडिया पर शीघ्रता से उत्पन्न होने वाले कथानकों के कारण राजनीतिक विश्लेषण कठिन हो जाता है।
- पारंपरिक चुनाव संदेश विश्लेषण अपर्याप्त है क्योंकि सोशल मीडिया लाखों लोगों को तेजी से प्रभावित करता है।
- जो राजनीतिक दल इस अराजक माहौल को नियंत्रित कर सकेगा, उसे लाभ होगा।
- यह स्पष्ट नहीं है कि इस नए परिदृश्य में ध्यान आकर्षित करने की लड़ाई कौन सी पार्टी जीत रही है।

दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य (17 मई)

गिरफ्तारी को रद्द करने का न्यायालय का आदेश उचित प्रक्रिया को दरकिनार करने की पुलिस की साजिश को उजागर करता है

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य करार दिया।
- दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार उपलब्ध न कराने के कारण मामला अमान्य कर दिया गया।
- न्यायालय ने पुलिस द्वारा उसकी हिरासत प्राप्त करने के गुप्त तरीके की आलोचना की।
- न्यूज़क्लिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम लगाया गया था , लेकिन मामला निराधार निकला।
- पुलिस ने कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का प्रयास किया, जिससे सद्भावना का अभाव प्रदर्शित हुआ।
- श्री पुरकायस्थ को भोर में रिमांड जज के समक्ष पेश किया गया, तथा सुबह 6 बजे पुलिस हिरासत प्राप्त हुई।
- पुलिस ने सुबह-सुबह की कार्यवाही के बारे में उनके वकील को सूचित नहीं किया।
- श्री पुरकायस्थ के वकील के स्थान पर एक 'रिमांड अधिवक्ता' उपस्थित था, जिससे उन्हें उचित कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित होना पड़ा।
- इसका उद्देश्य श्री पुरकायस्थ को बिना कारण बताए पुलिस हिरासत में रखना, उन्हें जमानत और कानूनी सलाह लेने का मौका न देना तथा अदालत को गुमराह करना था।
- यह निर्णय पंकज बंसल केस (2023) के सिद्धांत को **यूएपीए तक बढ़ाता है**, गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार की आवश्यकता।
- न्यायालय का सुझाव है कि यह आवश्यकता यूएपीए या किसी अन्य अपराध के तहत की गई सभी गिरफ्तारियों पर लागू होनी चाहिए।

Patriotic IAS

- पुलिस ने हाल ही में एक आरोपपत्र दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि श्री पुरकायस्थ को चीनी सरकार से वित्त पोषण प्राप्त हुआ था।
- आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम ने भारतीय लोकतंत्र को चीन की तरह पार्टी-राज्य प्रणाली से बदलने की साजिश रची।
- इसमें उन पर भारत में दंगों, विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने और आतंकवादियों को वित्तपोषित करने का भी आरोप लगाया गया है।
- इन आरोपों की गंभीर प्रकृति के कारण नियमित जमानत प्राप्त करना कठिन होता।
- न्यायालय ने उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर बल दिया, जैसे गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार प्रदान करना।

व्यापार असंतुलन (17 मई)

आयात बिल में तीव्र वृद्धि ने अप्रैल में निर्यात में हुई हल्की वृद्धि को प्रभावित किया

- भू-राजनीतिक और रसद संबंधी व्यवधानों के कारण 2023-24 में भारत के व्यापारिक निर्यात में 3% से अधिक की गिरावट आई है।
- अप्रैल 2024 में निर्यात थोड़ा बढ़कर 34.99 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.07% अधिक है।
- भारत की शीर्ष 30 निर्यात वस्तुओं में से 17 में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखी गई।
- यह मामूली वृद्धि मुख्य रूप से फार्मा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों के कारण हुई।
- वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल आया।
- तेल और सोने की कीमतों में वृद्धि से भारत का आयात बिल 10.25% बढ़कर 54 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।
- अप्रैल का व्यापार घाटा 19.1 बिलियन डॉलर था, जो चार महीनों में सबसे अधिक था।
- जून में होने वाली ओपेक+ बैठक में उत्पादन में कटौती जारी रह सकती है, जिससे तेल की कीमतें संभवतः 100 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं।
- सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर वैश्विक स्तर पर होड़ के कारण सोने की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है।
- तेल और सोने की ऊंची कीमतें भारत के व्यापार संतुलन, रुपये और घरेलू ईंधन की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
- विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, 2023 में वैश्विक व्यापार की मात्रा में 1.2% की गिरावट आएगी, लेकिन 2024 में 2.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- भारत सरकार को उम्मीद है कि कम मुद्रास्फीति और प्रमुख पश्चिमी बाजारों में बेहतर विकास से मांग में वृद्धि होगी।
- भारत को इस मांग वृद्धि से लाभ उठाने तथा व्यापक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपने दृष्टिकोण में सुधार करने की आवश्यकता है।
- वस्त्र और जूते जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ रहा है।

PatriotICAS

- अप्रैल में वस्त्र, जूते, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में गिरावट जारी रही।
- मसालों और दवाओं जैसे उत्पादों में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का समाधान करना तथा झींगा निर्यात में श्रम और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटना महत्वपूर्ण है।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीमित कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से अच्छे मानसून की संभावनाओं को देखते हुए।
- अगली सरकार को निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा प्रबंधनीय व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

पूरा नाम: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक-OPEC)

- कार्य: महत्वपूर्ण मात्रा में तेल भंडार वाले देशों का एक स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन। ओपेक का उद्देश्य अपने सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित और स्थिर तेल मूल्य सुनिश्चित करना है।
- महासचिव: हैथम अल-घैस
- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।
- स्थापना: 14 सितम्बर, 1960, बगदाद, इराक में।
- संस्थापक सदस्य: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला।
- वर्तमान सदस्य: अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला।
- संगठन: ओपेक ओपेक के सदस्य देश तेल उत्पादन कोटा और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए अर्धवार्षिक बैठक करते हैं

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

- **भूमिका** : वैश्विक व्यापार नियमों का प्रबंधन करना और देशों के बीच व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने में मदद करना।
- **प्रारंभ तिथि** : 1 जनवरी 1995 को प्रारंभ हुआ, जिसने 1948 के पुराने व्यापार समझौते का स्थान लिया।
- **सदस्य** : इसमें 164 देश और 24 पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल हैं जो इसमें शामिल होने के लिए प्रयासरत हैं।
- **मुख्य कार्य** :
  - व्यापार समझौतों की देखरेख करता है।
  - व्यापार समझौते पर बातचीत को सुगम बनाता है।
  - व्यापार विवादों का निपटारा करता है।
- **लीडर** : नाइजीरिया से नगोजी ओकोन्जो -इवेला द्वारा निर्देशित ।
- **स्थान** : जिनेवा, स्विटजरलैंड में स्थित।

PatriotIAS

Should reservation in jobs only be in proportion to the population?

Sukhadeo Thorat

is the former chairman of the University Grants Commission and Professor Emeritus at JNU

Sudheendra Kulkarni

served as an aide to Atal Bihari Vajpayee in the Prime Minister's Office

PARLEY

During his election campaign, Congress leader Rahul Gandhi has often used the slogan *'Jitni abadi, utna haq'* (the rights of a group are proportionate to the group's share in the total population). The Prime Minister has lashed out at him for the slogan and others have argued that it is against the spirit of the Constitution. Should reservation in jobs only be in proportion to the population? Sukhadeo Thorat and Sudheendra Kulkarni discuss the question in a conversation moderated by **Abhinay Lakshman**. Edited excerpts:

This slogan is not new. It has a unique place in the history of India's social justice politics. What is the salient difference in how it was used in Kanshi Ram's time and how it is being used now? What does it really mean? Whose population and what right is the slogan talking about?

Sukhdeo Thorat: One of the justifications for a caste census is that Indian society is highly diversified and exclusionary. Very few countries have a group-specific policy like we have. We combine policies that are focused on individuals and at the same time we focus on groups as a whole. Over the last 20 years, you will see that there has been an increase in demand for group-specific policies: for certain SCs (Scheduled Castes), STs (Scheduled Tribes), Other Backward Classes (OBCs), those above OBCs such as the Patels and Marathas, and now low-income groups, and women. That is simply because of the character of our society where certain groups face discrimination from having an equal access to opportunity and equal rights.

Increasingly, the issue is that the government is surrendering to some groups due to pressure and providing group-specific policies without sufficient information. That is why we find arguments for caste-wise data, sub-caste-wise data – so that we can study it and the government can take a position based on that. When I was chairman of ICSSR (Indian Council of Social Science and Research), I was asked to justify reservation at the Centre for the Jat community. We were not given caste census data for the Jats. But we were given five reports of five States and those reports were very poor. This is an example to say that if we want to have group-specific policies, we should have group-specific information about human development indicators, poverty, income, malnutrition, education, and ownership of means of production. That, I think, is the justification of the Congress.

Sudheendra Kulkarni: This slogan did not start with Kanshi Ram. In some ways, it has its origins in the debates and even policies of the colonial government. It is the British who introduced proportionate representation to certain sections of society. It was also supported by B.R. Ambedkar in *States and Minorities*: he made a strong case for representation proportionate to the population. In fact, he wanted erstwhile depressed classes to also be categorised as minorities. And depending on the proportion of population, he demanded representation. That was strongly opposed by the Congress and was not adopted in the Constitution. Instead, a principle of affirmative action was introduced for certain sections of society, for certain needs, that is, education and employment, which would ensure their justice and development. This was done unanimously. But in this principle, there is no concept of *jitni abadi utna haq*. This concept is patently unconstitutional. It goes against the letter and spirit of the Constitution. India is a Republic which recognises equality among citizens. Caste is not recognised as a unit in the Constitution. If it is recognised, it is only to the extent of certain policies for affirmative action.

Jitni abadi utna haq is also unimplementable. Let me give an example. We are already encountering enormous difficulties in ensuring reservation even for groups such as SCs. You know there is a strong demand for sub-categorisation among Dalits, tribal groups, and OBCs. This is because there is a strong feeling among beneficiary categories that some sub-category is taking a much larger share of the benefits and depriving others. For instance, the Madigas in Telangana are demanding sub-categorisation because they believe that the Malas, who are fewer in number, are getting more benefits. The Rohini Commission's initial findings also show that there is a tremendous imbalance even among the beneficiary groups. Affirmative action has some justification within certain frameworks. But *jitni abadi utna haq* is a divisive and unconstitutional concept. If anyone tried to implement it, it can create social chaos.

Prime Minister Narendra Modi with Madiga Reservation Porata Samithi leader Manda Krishna Madiga during a public rally in Hyderabad. THE HINDU

Are you saying we must find larger groups to ensure accurate representation, or should we move away from representation in totality?

> Affirmative action has some justification within certain frameworks. But *jitni abadi utna haq* is a divisive and unconstitutional concept. If anyone tried to implement it, it can create social chaos.
>
> SUDHEENDRA KULKARNI

SK: The fundamental moral underpinning of the Constitution is *nyay* (justice). We are far from approaching the ideal. The question is how we move towards it. There is a tendency to focus only on the government or the formal sector of the economy. These provide employment only to a small section. So, we need to think of economic and social justice and equality in totally different terms. This means we need to think of wealth and livelihood creation at the bottom of the socioeconomic pyramid.

ST: Dr. Ambedkar's position was that if the reservation share of the SCs, STs (Scheduled Tribes) has to be defined, it should be in proportion to the social, economic, and educational standing of the group. He was not strictly in support of the population as an indicator for representation. He dealt with reservation in the legislature and said that it should be in proportion to the socioeconomic standing of the group. He said that the majority seats in the legislature should be reduced to a certain extent and redistributed among the social and religious minorities. And the redistribution of seats, which will also apply to jobs, should be in proportion to the economic and social standing. Nevertheless, population comes in. Because in the absence of the other indicators, at that time, population was considered to be a tentative indicator of a fair representation of a group. But that doesn't mean that it should be the ultimate indicator.

The second point is the reservation issue by social group. There is a distinction between pro-poor policies, irrespective of caste, religion, ethnicity, gender, and policies for those who are discriminated against. Affirmative action policies are necessary in addition to general policies, which are applicable to all, only for those groups which have suffered from discrimination. So, as far as reservation is concerned, in India you will have to have a policy that is for economic and educational empowerment for all, irrespective of caste and religion, and an additional policy for the group that is discriminated against. Ambedkar did not ask for reservation only in the public sector. He also asked for it in the private sector because discrimination is more rampant in the private sector than the public sector.

But the question here is, how do we determine what qualifies as a fair share?

ST: Ambedkar was clear that the fair share should be based on the socioeconomic and education standing of the group, which can be supplemented by the population. Take, for example, Parsis or Christians. They are minorities, but they are advanced in terms of education. Their share is much, much higher than their population share. Brahmins constitute only 3.5% or 5%, but their share is several times higher than the low castes.

What should be the aim of a caste census in India?

SK: A caste census is welcome because it will reveal how many people belong to which caste or sub caste and their relative backwardness or progression. It will then show government and society what actions are needed for us to move towards greater equality. The question is, what are you going to do then with the data of the caste census? The caste census will also, among other things, reveal how certain castes who were earlier deprived and discriminated against have moved on. This will be important new information that will come out. Let us not be under the illusion or misconception that all the SCs are as discriminated against as they were 70 years ago. There is a certain section of SCs which has moved on, a section of OBCs that has moved on. Many of them are crorepatis. Should their children get reservation? The concept of a creamy layer should also now be applied to the SCs. So, these are the larger issues that will be revealed by the caste census. Similarly, there are other so-called non-OBCs or upper castes who are poor. So, we need to therefore take a holistic view and not go in the direction that divides our society, that is, *jitni abadi, utna haq*.

ST: The purpose of a caste census is quite clear. It is not a census only to gain demographic data and family data. The first is that you go down from broader caste categories like SCs to sub castes. So, have a population estimate of these sub castes or even religious groups for that matter and social groups within the religion. But that certainly is not the purpose. The purpose is to know about the economic, educational, and social standing of these groups. What is their access to ownership of means of production like land, business, employment? What are their educational levels? Do they face discrimination? What is the nature of such discrimination? So a caste census will generate all this information and bring transparency. There will be shocks. The people who are opposed to a caste census are worried simply because they think that the 5% Brahmins will have a 60% share. But my point is government policy is based on evidence and data and it is a fair policy. But at the moment policies are not based on data. Policies are based on political pressures.

To listen to the full interview
Scan the code or go to the link
www.thehindu.com

क्या नौकरियों में आरक्षण केवल जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए? (17 मई) (GS PAPER II: आरक्षण)

- राहुल गांधी ने नारा दिया था ' जितनी जल्दी हो सके ' आबादी , उटना उन्होंने अपने चुनाव अभियान में ' हक ' (किसी समूह के अधिकार उसकी जनसंख्या के अनुपात में होते हैं) का नारा दिया था।
- नारे में सुझाव दिया गया है कि नौकरियों में आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री ने नारे की आलोचना करते हुए कहा कि यह संविधान की भावना के विरुद्ध है।
- भारत में वर्तमान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निश्चित प्रतिशत के आधार पर आरक्षण है।
- **आनुपातिक आरक्षण के पक्ष में तर्क: निष्पक्षता और समावेशिता।**
- **विपक्ष में तर्क: योग्यता और संवैधानिक सिद्धांतों पर संभावित प्रभाव।**

- भारत में नौकरी में आरक्षण में **सकारात्मक कार्रवाई और योग्यता के बीच संतुलन बनाने** पर बहस जारी है ।
- जाति जनगणना का औचित्य: भारतीय समाज विविधतापूर्ण और बहिष्कारवादी है; कुछ ही देशों में भारत जैसी समूह-विशिष्ट नीतियां हैं।
- भारत व्यक्तियों और समूहों पर केंद्रित नीतियों को जोड़ता है।
- **पिछले 20 वर्षों में, कुछ समूहों द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव के कारण समूह-विशिष्ट नीतियों की मांग में वृद्धि हुई है।**
- **इन समूहों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), तथा अन्य जैसे पटेल, मराठा, निम्न आय वर्ग और महिलाएं शामिल हैं।**
- सरकार कभी-कभी समूह के दबाव के आगे झुक जाती है और पर्याप्त जानकारी के बिना नीतियां बना देती है।
- **नीतियों को समझने और उन्हें उचित ठहराने के लिए जातिवार और उपजातिवार आंकड़ों** की आवश्यकता है ।
- उदाहरण: **जाटों पर आंकड़ों की कमी के कारण आरक्षण पर निर्णय प्रभावित हुआ।**
- **मानव विकास संकेतकों, गरीबी, आय, कुपोषण, शिक्षा और स्वामित्व** पर डेटा की आवश्यकता प्रभावी समूह-विशिष्ट नीतियों के लिए।
- **यह जाति जनगणना और आंकड़ों पर आधारित नीति-निर्माण के लिए कांग्रेस के आह्वान को उचित ठहराता है।**

- जितनी अच्छी हो ' नारे की उत्पत्ति आबादी , उटना हक ':
- इस विचार की जड़ें ऐतिहासिक हैं, जिनमें औपनिवेशिक काल के दौरान हुई बहसें भी शामिल हैं और इसका समर्थन बी.आर. अंबेडकर ने भी किया था।
- **अम्बेडकर ने राज्यों और अल्पसंख्यकों पर अपने लेखन में जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वकालत की।**
- संविधान में अपनाई गई बातें:
- **कांग्रेस ने अम्बेडकर के प्रस्ताव का विरोध किया और इसके बजाय संविधान ने शिक्षा और रोजगार की जरूरतों के लिए सकारात्मक कार्रवाई को अपनाया।**
- संविधान में सकारात्मक कार्रवाई ' जितनी जल्दी हो सके ' का समर्थन नहीं करती है आबादी उतना हक '.
- संवैधानिकता और कार्यान्वयन:
- **' जितनी आबादी उतना ' हक ' को असंवैधानिक माना जाता है क्योंकि यह संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।**
- भारत नागरिकों के बीच समानता को मान्यता देता है, जाति को इकाई के रूप में नहीं।
- वर्तमान आरक्षण प्रणाली की चुनौतियाँ:
- अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए मौजूदा आरक्षण को लागू करना भी कठिन है।

PatrioticIAS

- लाभों के असमान वितरण के कारण दलितों, जनजातीय समूहों और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के बीच उप-वर्गीकरण की मांग हो रही है ।
- उदाहरण: तेलंगाना में मडिगा लोग उप-वर्गीकरण चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि माला लोगों को अधिक लाभ मिलता है।
- सामाजिक निहितार्थ:
- जितनी ' का क्रियान्वयन आबादी उतना ' हक ' **सामाजिक अराजकता और विभाजन को जन्म दे सकता है** .
- सकारात्मक कार्रवाई का कुछ हद तक औचित्य है, लेकिन इस नारे को विभाजनकारी और अव्यावहारिक माना जाता है।
- संविधान का मौलिक नैतिक आधार न्याय है , लेकिन हम अभी भी इस आदर्श को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं।
- ध्यान सरकार और अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्रों पर रहा है, जो जनसंख्या के केवल एक छोटे से हिस्से को रोजगार देते हैं।
- आर्थिक और सामाजिक न्याय तथा समानता प्राप्त करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- इसमें सामाजिक-आर्थिक पिरामिड के निचले स्तर पर धन और आजीविका के अवसर पैदा करना शामिल है।
- इसका जोर समाज के हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने पर है।
- डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल जनसंख्या के आधार पर।
- उन्होंने सुझाव दिया कि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विधायिका में सीटों को सामाजिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच पुनर्वितरित किया जाना चाहिए।
- नौकरियों और विधायिका में आरक्षण समूहों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- **जनसंख्या को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का एक अस्थायी संकेतक माना गया** अन्य संकेतकों के अभाव में।
- अम्बेडकर ने सकारात्मक कार्रवाई पर जोर दिया सामान्य गरीब-समर्थक नीतियों के बजाय भेदभाव का सामना करने वाले समूहों के लिए।
- उन्होंने न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की वकालत की, जहां भेदभाव अधिक व्यापक है।

लेकिन यहां प्रश्न यह है कि हम यह कैसे निर्धारित करें कि उचित हिस्सा क्या है ?

- अम्बेडकर का मानना था कि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व समूह की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर आधारित होना चाहिए, जिसे जनसंख्या द्वारा पूरित किया जाना चाहिए ।

PatriotICIAS

- उन्होंने **पारसियों और ईसाइयों को अल्पसंख्यकों के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जो शिक्षा में आगे हैं, फिर भी लाभ में उनकी हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या के हिस्से से अधिक है** ।
- इसके विपरीत, **ब्राह्मणों की जनसंख्या बहुत कम है** (3.5% से 5%), **लेकिन लाभ में उनकी हिस्सेदारी निम्न जातियों की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक है।**
- इससे आरक्षण और प्रतिनिधित्व के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता उजागर होती है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनसंख्या दोनों को कारक के रूप में ध्यान में रखा जाए।

भारत में जाति जनगणना का उद्देश्य क्या होना चाहिए?

- **जाति जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विभिन्न जातियों और उपजातियों का वितरण और उनकी सापेक्ष पिछड़ापन या प्रगति का पता चलेगा।**
- यह सरकार और समाज को यह समझने के लिए डेटा उपलब्ध कराएगा कि अधिक समानता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।
- जाति जनगणना के आंकड़ों से **पता चलेगा कि पहले वंचित और भेदभाव का शिकार रही कुछ जातियां किस तरह आगे बढ़ी हैं** ।
- सभी अनुसूचित जातियां (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उसी स्तर के भेदभाव का सामना नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें 70 साल पहले करना पड़ता था; कुछ लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए हैं।
- अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का एक वर्ग धनी है और क्रीमी लेयर की अवधारणा उन पर भी लागू होनी चाहिए।
- जाति जनगणना से ऐसे मुद्दे उजागर होंगे कि **क्या धनी अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को अभी भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।**
- जनगणना से **गैर-ओबीसी या उच्च जातियों में भी गरीब व्यक्तियों का पता चलेगा, जिससे यह संकेत मिलेगा कि गरीबी केवल विशिष्ट जातियों तक सीमित नहीं है।**
- हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और ' जितनी जल्दी हो सके ' जैसी नीतियों से बचना चाहिए। आबादी , उटना ' हक ' जो हमारे समाज को विभाजित कर सकता है।
- जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जनसांख्यिकीय और पारिवारिक आंकड़े एकत्र करना नहीं है।
- इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों जैसी व्यापक जाति श्रेणियों को उप-जातियों और धार्मिक समूहों में विभाजित करके उनकी जनसंख्या का अनुमान लगाना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को समझना है।
- इससे **भूमि, व्यवसाय और रोजगार जैसे उत्पादन के साधनों तक उनकी पहुंच का पता चलेगा।**
- इन समूहों के शैक्षिक स्तर और उनके द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव की प्रकृति का आकलन किया जाएगा।
- जाति **जनगणना से व्यापक जानकारी प्राप्त होने से पारदर्शिता आएगी** ।
- कुछ लोग जाति जनगणना का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे ब्राह्मणों की संख्या अनुपातहीन रूप से बड़ी हो जाएगी, लेकिन साक्ष्य आधारित सरकारी नीतियां निष्पक्ष होनी चाहिए।

PatriotIAS

- वर्तमान नीतियां अक्सर आंकड़ों और साक्ष्यों की अपेक्षा राजनीतिक दबावों से अधिक प्रभावित होती हैं।

दुष्प्रचार की रिपोर्टिंग की चुनौती (17 मई)

तथ्यों का शरारतपूर्ण और चुनिंदा प्रस्तुतीकरण कभी-कभी लोकतंत्र के लिए शुद्ध झूठ से भी अधिक खतरनाक हो सकता है

- चुनाव अभियान अक्सर तथ्य प्रस्तुत करने पर नहीं, बल्कि जनमत को प्रभावित करने पर केंद्रित होते हैं।
- राजनीतिक नेता अक्सर खुद को अतिमानवीय दिखाने या विरोधियों को बदनाम करने के लिए सच्चाई को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं या विकृत करते हैं।
- पत्रकारों के लिए चुनाव के दौरान इन बयानों को सही ढंग से रिपोर्ट करना चुनौतीपूर्ण होता है।
- अतीत में झूठी सूचना का प्रभाव सीमित होता था, लेकिन अब प्रौद्योगिकी ने इसे व्यापक रूप से फैलाया है और इसे जीवित रखा है।
- पत्रकारों को इस बात को लेकर दुविधा का सामना करना पड़ता है कि वे झूठ से भरे भाषणों की रिपोर्टिंग कैसे करें:
    - क्या उन्हें केवल वही कहना चाहिए जो कहा गया था?
    - क्या उन्हें झूठे बयान देने वाले नेता को नजरअंदाज करना चाहिए?
    - क्या वास्तविक समय में तथ्य-जांच संभव है?
- जब बयानों में बहुत अधिक विकृतियां हों, तो पत्रकारों को जिम्मेदार पत्रकारिता का निर्णय लेना चाहिए:
    - क्या उन्हें नेताओं के झूठे बयानों पर रोक लगा देनी चाहिए?
    - क्या तथ्यों की जांच किए बिना विरोधी बयान प्रस्तुत करना पर्याप्त है?
- गलत सूचनाओं से निपटने और सही रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकारों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
- तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों की रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण देना चाहिए।
- सत्यापन योग्य दावों (जैसे, राजनीतिक घोषणापत्रों के बारे में) की जांच की जा सकती है और उनकी सटीक रिपोर्ट दी जा सकती है।
- काल्पनिक बयानों (जैसे, सरदार पटेल के अधीन भारत एक महाशक्ति था) को केवल राय के रूप में ही रिपोर्ट किया जा सकता है।
- गलत सूचना और गलत व्याख्या, स्पष्ट झूठ से भी अधिक खतरनाक हैं।

PatrioticIAS

- कुछ मामलों में संदर्भ और पृष्ठभूमि प्रदान करना साधारण तथ्य-जांच से अधिक मूल्यवान होता है।
- उदाहरण: मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि के बारे में चुनिंदा तथ्य खतरनाक हो सकते हैं।
- संख्याएं भ्रामक हो सकती हैं; विभिन्न तर्क विपरीत दावों के समर्थन में एक ही डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
- सर्वेक्षण जटिल वास्तविकताओं (जैसे, सांप्रदायिकता) को उजागर नहीं कर सकते।
- संख्याएं और डेटा समझने में योगदान देते हैं लेकिन पूरी तस्वीर पेश नहीं करते।
- इन जटिलताओं के कारण चुनाव अभियानों की रिपोर्टिंग चुनौतीपूर्ण है।
- पत्रकारों को निष्पक्ष तस्वीर पेश करने के लिए डेटा, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जानकारी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए।
- पत्रकारिता की अखंडता बनाए रखने के लिए तथ्यों के साथ दुष्प्रचार का मुकाबला करना आवश्यक है।

PatrioticIAS

The use of AI in drug development

What are target proteins and how are they identified? How do AI-based tools AlphaFold 3 and RoseTTAFold All-Atom help in predicting the correct target protein and its interactions with drugs? Where does India stand in the field of computational drug development?

EXPLAINER

Binay Panda

Drug development is an expensive and time-consuming process. However, the advent of Artificial Intelligence (AI) has opened up a world of possibilities with respect to fast-tracking drug development.

How does the process start?

The process of developing a drug starts with identifying and validating a target. A target is a biological molecule (usually a gene or a protein) to which a drug directly binds in order to work. The overwhelming majority of targets are proteins. Only those proteins with ideal sites where drugs can go and dock to do their business are druggable proteins.

Target proteins are identified in the discovery phase, wherein a target protein sequence is fed into a computer which looks for the best-fitting drug out of millions in the library of small molecules for which the structures are stored in the computer. The process assumes that the structures of the target protein and drug are known. If not, the computer uses models to understand the sites where a drug can bind. This discovery process avoids time-consuming laboratory experiments that require expensive chemicals and reagents and have a high failure rate. Once the suitable protein target and its drug are identified, the research moves to the pre-clinical phase, where the potential drug candidates are tested outside a biological system, using cells and animals for the drug's safety and toxicity. After this, as part of the clinical phase, the drug is tested on a small number of human patients before being used on more patients for efficacy and safety. Finally, the drug undergoes regulatory approval and marketing and post-market survey phases. Due to a high failure rate, the discovery phase limits the number of drugs that pass and carry on to the pre-clinical and clinical phases.

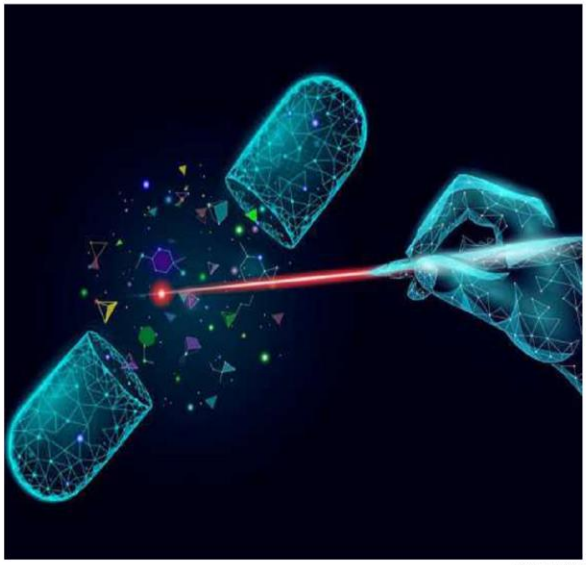

GETTY IMAGES

How can AI help this process?

AI has the potential to revolutionise target discovery and understand drug-target interaction by drastically cutting down time, increasing the accuracy of prediction of interaction between a drug and its target, and saving money. The development of two AI-based prediction tools, AlphaFold and RoseTTAFold, developed by researchers at DeepMind, a Google company, and the University of Washington, U.S., respectively, has provided a major scientific breakthrough in the last four years in the area of computational drug development. Both tools are based on deep neural networks. The tools' neural networks use massive amounts of input data to produce the desired output – the three-dimensional structures of proteins. Published recently, the new avatars of AlphaFold and RoseTTAFold, called AlphaFold 3 (developed jointly by Isomorphic Labs, a DeepMind spinoff) and RoseTTAFold All-Atom, respectively, take the capability of these tools to an entirely new level. The significant difference between the upgraded versions and their previous forms is their capability to predict not just static structures of proteins and protein-protein interactions but also their ability to predict structures and interactions for any combination of protein, DNA, and RNA, including modifications, small molecules and ions. Additionally, the new versions use generative diffusion-based architectures (one kind of AI model) to predict structural complexes. In a test with 400 interactions between targets and their small molecule drugs, AlphaFold 3 accurately predicted their interactions 76% of the time versus 40% by RoseTTAFold All-Atom.

What are the drawbacks?

With all the promise and potential in drug development, AI tools have limitations. For example, the tools can, at best, provide up to 80% accuracy in predicting interactions (the accuracy comes down drastically for protein-RNA interaction predictions). Second, the tools can only aid a single phase of drug development, target discovery and drug-target interaction. It will still have to go through the pre-clinical and clinical development phases, and there is no guarantee that the AI-derived molecules will result in success in those phases. Third, one of the challenges with diffusion-based architecture is model hallucinations, where insufficient training data causes the tool to produce incorrect or non-existent predictions. Finally, unlike the previous versions of AlphaFold, DeepMind has not released the code for AlphaFold 3, restricting its independent verification, broad utilisation and use for protein-small molecule interaction studies.

What about India?

Developing new AI tools for drug development requires large-scale computing infrastructure, especially ones with fast Graphics Processing Units (GPUs) to run multiple tasks with longer sequences. GPU chips are expensive, and with newer and faster ones being produced by hardware makers every year, they have a quick expiration date. India needs such large-scale computing infrastructure. That, along with a lack of skilled AI scientists, unlike in the U.S. and China, is the second reason why researchers in India could not establish a first-mover advantage in developing AI tools for drug development despite the country having a rich history in protein X-ray crystallography, modelling and other fields of structural biology. However, with a growing number of pharmaceutical organisations, India can lead the way in applying AI tools in target discovery, identification, and drug testing.

Binay Panda is Professor at JNU, New Delhi and posts at @ganitlabs.

THE GIST

- The process of developing a drug starts with identifying and validating a target. A target is a biological molecule (usually a gene or a protein) to which a drug directly binds in order to work.
- AI has the potential to revolutionise target discovery and understand drug-target interaction by drastically cutting down time, increasing the accuracy of prediction of interaction between a drug and its target, and saving money.
- The development of two AI-based prediction tools, AlphaFold and RoseTTAFold, developed by researchers at DeepMind, a Google company, and the University of Washington, U.S., respectively, has provided a major scientific breakthrough in the area of computational drug development.

दवा विकास में एआई का उपयोग (17 मई) (GS PAPER III: एआई)

लक्ष्य प्रोटीन क्या हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है? AI-आधारित उपकरण अल्फाफोल्ड 3 और रोज़टीटीएफोल्ड ऑल-एटम सही लक्ष्य प्रोटीन और दवाओं के साथ इसकी अंतःक्रिया की

भविष्यवाणी करने में कैसे मदद करते हैं? कम्प्यूटेशनल ड्रग डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत कहाँ खड़ा है ?

- दवा का विकास महंगा और समय लेने वाला है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) दवा विकास प्रक्रियाओं को गति दे रही है।
- एआई संभावित औषधि उम्मीदवारों को खोजने के लिए बड़े डेटासेट का शीघ्रता से विश्लेषण करता है।
- यह नई औषधियों की खोज करने या मौजूदा औषधियों को पुनः उपयोगी बनाने में सहायता करता है।
- एआई क्लिनिकल परीक्षण डिज़ाइन को अनुकूलित करता है और रोगी की प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान लगाता है।
- लाभों में तेजी से दवा की खोज, कम लागत और नवाचार की संभावना शामिल हैं।
- चुनौतियों में डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, विनियामक अनुमोदन और नैतिक चिंताओं का समाधान करना शामिल है।

यह प्रक्रिया कैसे शुरू होती है?

- औषधि का विकास लक्ष्य की पहचान और सत्यापन से शुरू होता है, जो आमतौर पर एक जैविक अणु जैसे जीन या प्रोटीन होता है।
- अधिकांश दवा लक्ष्य प्रोटीन होते हैं जिनमें विशिष्ट स्थान होते हैं जहां दवाएं बंध सकती हैं।
- खोज चरण में लक्ष्य प्रोटीन अनुक्रम को लाइब्रेरी में संग्रहीत उपयुक्त औषधि अणुओं के साथ मिलान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
- यह प्रक्रिया लक्ष्य प्रोटीन और दवा की ज्ञात संरचनाओं पर निर्भर करती है, या बंधन स्थलों की भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल का उपयोग करती है।
- इससे समय लेने वाले और महंगे प्रयोगशाला प्रयोगों से बचा जा सकता है और इसकी विफलता दर भी अधिक होती है।
- एक बार उपयुक्त प्रोटीन लक्ष्य और दवा की पहचान हो जाने पर, अनुसंधान पूर्व-नैदानिक चरण में चला जाता है।
- पूर्व-नैदानिक चरण में, संभावित औषधि अभ्यर्थियों का सुरक्षा और विषाक्तता का आकलन करने के लिए कोशिकाओं और पशुओं का उपयोग करके जैविक प्रणालियों के बाहर परीक्षण किया जाता है।
- इसके बाद नैदानिक चरण आता है, जहां दवा की प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए कुछ मानव रोगियों पर इसका परीक्षण किया जाता है।
- अंत में, दवा को विनियामक अनुमोदन, विपणन और बाजार-पश्चात निगरानी चरणों से गुजरना पड़ता है।
- उच्च विफलता दर के कारण खोज चरण में पूर्व-नैदानिक और नैदानिक चरणों में आगे बढ़ने वाली दवाओं की संख्या सीमित हो जाती है।

एआई इस प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता कर सकता है?

PatriotIAS

- एआई में लक्ष्य खोज और दवा-लक्ष्य अंतःक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है।
- इससे समय में भारी कमी आती है तथा यह पूर्वानुमान लगाने में सटीकता बढ़ जाती है कि दवाएं अपने लक्ष्य के साथ किस प्रकार क्रिया करती हैं।
- दो एआई-आधारित भविष्यवाणी उपकरण, अल्फाफोल्ड और रोज़टीटीएफोल्ड , क्रमशः डीपमाइंड और वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए हैं।
- ये उपकरण प्रोटीन की त्रि-आयामी संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए गहरे तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करते हैं।
- अल्फाफोल्ड 3 और रोजटीटीएफोल्ड ऑल-एटम उन्नत संस्करण हैं जो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, संशोधनों, छोटे अणुओं और आयनों की संरचनाओं और अंतःक्रियाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं।
- नए संस्करण संरचनात्मक परिसरों की भविष्यवाणी करने के लिए जनरेटिव प्रसार-आधारित वास्तुकला का उपयोग करते हैं।
- लक्ष्य और छोटे अणु औषधियों के बीच 400 अंतःक्रियाओं वाले परीक्षण में, अल्फाफोल्ड 3 ने अंतःक्रियाओं का 76% सटीक पूर्वानुमान लगाया, जबकि रोजटीटीएफोल्ड ऑल-एटम ने 40% सटीक पूर्वानुमान लगाया।
- ये प्रगति कम्प्यूटेशनल औषधि विकास में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता का प्रतिनिधित्व करती है।

क्या कमियां हैं?

- औषधि विकास में एआई उपकरणों की संभावनाएं होने के बावजूद उनमें सीमाएं हैं।
- वे अंतःक्रियाओं की भविष्यवाणी करने में 80% तक सटीकता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन-आरएनए अंतःक्रियाओं के लिए यह सटीकता काफी कम हो जाती है।
- एआई उपकरण केवल दवा विकास के लक्ष्य की खोज और दवा-लक्ष्य अंतःक्रिया चरणों में ही सहायता करते हैं।
- एआई का उपयोग करके पहचानी गई दवाओं को अभी भी पूर्व-नैदानिक और नैदानिक विकास चरणों से गुजरना होगा।
- इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एआई द्वारा पहचाने गए अणु क्लिनिकल परीक्षणों में सफल होंगे।
- एआई उपकरणों द्वारा प्रयुक्त प्रसार-आधारित आर्किटेक्चर को अपर्याप्त प्रशिक्षण डेटा के कारण मॉडल भ्रम जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- डीपमाइंड ने अल्फाफोल्ड 3 के लिए कोड जारी नहीं किया है, जिससे प्रोटीन-लघु अणु अंतःक्रिया अध्ययनों के लिए स्वतंत्र सत्यापन और व्यापक उपयोग सीमित हो गया है।

भारत के बारे में क्या?

- दवा विकास के लिए नए एआई उपकरण विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।
- इस बुनियादी ढांचे को लंबे अनुक्रम वाले कई कार्यों को संभालने के लिए तेज़ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की आवश्यकता होती है।

PatnaticIAS

- GPU चिप्स महंगी होती हैं और हर साल नए और तेज़ मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं।
- अमेरिका और चीन की तुलना में भारत में बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे और कुशल एआई वैज्ञानिकों का अभाव है।
- प्रोटीन एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी और मॉडलिंग में भारत के समृद्ध इतिहास के बावजूद, शोधकर्ताओं ने दवा विकास के लिए एआई उपकरणों में अग्रणी लाभ हासिल नहीं किया है।
- भारत में फार्मास्युटिकल संगठनों की संख्या बढ़ रही है।
- भारत में लक्ष्य खोज, पहचान और दवा परीक्षण के लिए एआई उपकरणों के अनुप्रयोग में अग्रणी होने की क्षमता है।

Can parties be de-recognised or de-registered?

Does the Election Commission have the power to de-recognise a political party for violation of the MCC?

Rangarajan. R

The story so far:

The Election Commission of India (ECI) in its report on enforcement of Model Code of Conduct (MCC) has stated that it expects star campaigners to lead by example and not vitiate the fabric of society. This has raised a debate about ECI powers to rein in MCC violations.

What are registered parties?

Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (RP Act) lays down the requirements for registration of a political party with the ECI. Any political party that seeks registration should submit a copy of its memorandum/constitution. Such document should declare that the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India. It should also bear allegiance to the principles of socialism, secularism and democracy, and uphold the sovereignty, unity and integrity of India. Registered political parties enjoy the following legal benefits - (a) tax exemption for donations received under Section 13A of the Income Tax Act, 1961, (b) common symbol for contesting general elections to the Lok Sabha/State Assemblies, and (c) twenty 'star campaigners' during election campaign. As per the ECI, there are 2,790 active registered political parties in India.

What are recognised parties?

A registered party is referred to as a Registered Unrecognised Political Party (RUPP). Political parties are recognised as a 'national' or 'State' party under the provisions of The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 (Symbols Order) by the ECI. The criteria for recognition at the 'national' or 'State' level consists of winning requisite number of seats and/or obtaining required percentage of votes in a general election to Lok Sabha or State Assembly. At present, there are six 'national' parties, and sixty-one 'State' parties that have been recognised. These recognised parties enjoy additional concessions of having a reserved symbol during elections and forty 'star campaigners'.

What are the issues?

It has been noticed that less than a third of RUPPs contest elections. The RP Act does not confer explicit powers on the ECI to de-register any political party if it fails to contest elections, conduct inner-party elections or lodge requisite returns. The Supreme Court in *Indian National Congress versus Institute of Social Welfare & Ors* (2002) had held that the ECI does not have power to de-register any political party under the RP Act. It may de-register only under exceptional circumstances like registration being obtained by fraud or the political party ceasing to have allegiance to the Constitution or if it is declared unlawful by the Government. The RUPPs that don't contest elections raise concerns over the possible misuse of income tax exemption and donations collected being used for money laundering.

The MCC prohibits using caste and communal feelings to secure votes, and bribing or intimidation of voters. Recognised political parties are guilty of violating the MCC on various occasions. However, it has been observed that the ECI on such occasions at best bars leaders from campaigning for a short period of two to three days.

What needs to be done?

The ECI in its memorandum for electoral reforms (2016) has suggested amendment to the law that would empower the ECI to deregister a party. The Law Commission in its 255th report (2015) on 'Electoral reforms' has also recommended amendments for de-registration of a political party if it fails to contest elections for 10 consecutive years. These recommendations should be implemented. Under Paragraph 16A of the Symbols order, the ECI has the power to suspend or withdraw recognition of a recognised political party for its failure to observe MCC or follow lawful directions of the Commission. It has probably been used only once for three weeks in 2015 when the recognition of National People's Party was suspended for failure to follow the directions of the ECI. Strict action under this provision would have a salutary effect in ensuring adherence to the MCC.

Rangarajan R is a former IAS officer and author of 'Polity Simplified'. He trains civil-service aspirants at 'Officers IAS Academy'. Views expressed are personal.

THE GIST

- Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (RP Act) lays down the requirements for registration of a political party with the ECI.
- The Supreme Court in *Indian National Congress versus Institute of Social Welfare & Ors* (2002) had held that the ECI does not have power to de-register any political party under the RP Act.
- The ECI in its memorandum for electoral reforms (2016) has suggested amendment to the law that would empower the ECI to deregister a party.

क्या पार्टियों की मान्यता रद्द या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है? (17 मई) (GS PAPER II: राजनीति)

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने का अधिकार है ?

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रवर्तन पर एक रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट में, चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार प्रचारकों को सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए तथा सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचना चाहिए।
- इस बयान से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में बहस छिड़ गई है।
- आदर्श आचार संहिता दिशानिर्देशों का एक समूह है जो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने हेतु नियमन करता है।
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में घृणास्पद भाषण से लेकर विरोधियों पर झूठे आरोप लगाना तक शामिल हो सकता है।
- भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका भारत में चुनावों की देखरेख करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित हों।
- चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या दलों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसमें चेतावनी जारी करना या उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना भी शामिल हो सकता है।
- ईसीआई की शक्तियों पर बहस में इस बात पर चर्चा शामिल है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में ये उपाय कितने प्रभावी हैं।

पंजीकृत पार्टियाँ क्या हैं?

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी एक्ट) की धारा 29ए भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के साथ राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित करती है।
- पंजीकरण के लिए, किसी राजनीतिक दल को अपने ज्ञापन/संविधान की एक प्रति भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।
- ज्ञापन/संविधान में यह घोषित किया जाना चाहिए कि पार्टी भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा बनाए रखेगी।
- पार्टी को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए।
- भारत में पंजीकृत राजनीतिक दलों को कई कानूनी लाभ प्राप्त हैं:
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के अंतर्गत प्राप्त दान पर कर छूट।
- लोक सभा (लोक सभा) और राज्य विधान सभाओं के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रतीक।
- चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम बीस 'स्टार प्रचारकों' को रखने की अनुमति।
- चुनाव आयोग के अनुसार, भारत में वर्तमान में 2,790 सक्रिय पंजीकृत राजनीतिक दल हैं।

मान्यता प्राप्त पार्टियाँ क्या हैं ?

- एक पंजीकृत राजनीतिक दल जिसे भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) कहा जाता है।

PathfinderIAS

- भारत निर्वाचन आयोग, चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 (प्रतीक आदेश) के तहत राजनीतिक दलों को 'राष्ट्रीय' या 'राज्यीय' दलों के रूप में मान्यता देता है ।
- 'राष्ट्रीय' या 'राज्यीय' पार्टी के रूप में मान्यता कुछ मानदंडों पर आधारित होती है, जैसे कि अपेक्षित संख्या में सीटें जीतना या लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में अपेक्षित प्रतिशत वोट प्राप्त करना।
- वर्तमान में, छह 'राष्ट्रीय' दल और 61 'राज्यीय' दल हैं जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अतिरिक्त लाभ मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- चुनावों के दौरान आरक्षित प्रतीक रखना।
- चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम चालीस 'स्टार प्रचारकों' को नामित करने की अनुमति।

मुद्दे क्या हैं?

- पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) में से एक तिहाई से भी कम दल वास्तव में चुनाव लड़ते हैं।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी एक्ट) भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट अधिकार नहीं देता है जो चुनाव लड़ने, आंतरिक चुनाव कराने या आवश्यक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं।
- अन्य (2002) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया गया था कि भारत का निर्वाचन आयोग सामान्य परिस्थितियों में किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता, सिवाय धोखाधड़ी, संविधान के प्रति निष्ठा की हानि, या सरकार द्वारा गैरकानूनी घोषित किये जाने के मामलों को छोड़कर।
- जो आरयूपीपी चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनसे आयकर छूट और दान के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है, जिसका संभावित उद्देश्य धन शोधन हो सकता है।
- आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) वोट हासिल करने के लिए जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं के इस्तेमाल, साथ ही रिश्वतखोरी और मतदाताओं को डराने-धमकाने पर रोक लगाती है।
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कई अवसरों पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।
- चुनाव आयोग आमतौर पर ऐसे उल्लंघनों के लिए पार्टी नेताओं को अल्प अवधि, आमतौर पर दो से तीन दिनों के लिए चुनाव प्रचार करने से अस्थायी रूप से रोककर दंडित करता है ।

क्या किया जाने की जरूरत है?

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 2016 में चुनाव सुधारों के लिए अपने ज्ञापन में एक संशोधन का सुझाव दिया था, जिससे ईसीआई को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिल सके।
- विधि आयोग ने 2015 में 'चुनावी सुधार' पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में भी संशोधन की सिफारिश की थी, जिसके तहत यदि कोई राजनीतिक दल लगातार 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

PathlolgIAS

- चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए चुनाव सुधारों की इन सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
- प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 16ए के तहत, भारत के निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पालन करने में विफल रहने या आयोग के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित करने या वापस लेने की शक्ति है।
- इस शक्ति का प्रयोग 2015 में एक बार किया गया था, जब चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करने के कारण नेशनल पीपुल्स पार्टी की मान्यता तीन सप्ताह के लिए निलंबित कर दी गई थी।
- इस प्रावधान के तहत सख्त कार्रवाई से राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अमेरिका द्वारा चीन पर टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण, चीन पर निर्भर वियतनाम से आयात में उछाल (17 मई)

वियतनाम के निर्यात में उछाल पड़ोसी देश चीन से आयात के कारण आया है, तथा चीन से आने वाला आयात हाल के वर्षों में अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात के मूल्य और उतार-चढ़ाव से लगभग मेल खाता है; चूंकि मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है, इसलिए व्हाइट हाउस वियतनाम के बड़े व्यापार अधिशेष पर चुप रहा है ।

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने उच्च टैरिफ लगाकर चीन के साथ व्यापार को कम करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं।
- परिणामस्वरूप, वियतनाम से अमेरिकी आयात में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि वियतनाम अपने अधिकांश निर्यातों के लिए चीनी इनपुट पर निर्भर करता है।
- इसके परिणामस्वरूप चीन, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वियतनाम का व्यापार अधिशेष 105 बिलियन डॉलर के करीब होगा, जो 2018 की तुलना में 2.5 गुना अधिक है।
- वियतनाम अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष के मामले में चीन, मैक्सिको और यूरोपीय संघ के बाद चौथे स्थान पर है।
- चीन, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध तेजी से अन्योन्याश्रित होते जा रहे हैं, जिसे व्यापार, सीमा शुल्क और निवेश आंकड़ों से समर्थन मिलता है।
- वियतनाम के निर्यात में वृद्धि चीन से होने वाले आयातों से प्रेरित हुई है, तथा इन आयातों का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले निर्यातों के मूल्य से काफी मेल खाता है।
- इन अंतर्दृष्टियों की पुष्टि विश्व बैंक के प्रारंभिक अनुमानों के साथ-साथ कई अर्थशास्त्रियों और आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञों के विश्लेषण से भी होती है।
- विश्व बैंक के प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि वियतनाम में चीनी आयात और संयुक्त राज्य अमेरिका को वियतनामी निर्यात के बीच 96% सहसंबंध है, जो डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने से पहले 84% था।

PatriotIAS

- वियतनाम में चीनी आयात में यह वृद्धि, संयुक्त राज्य अमेरिका को वियतनामी निर्यात में वृद्धि के साथ हुई है।
- कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसे इस रूप में देख सकता है कि चीनी कंपनियां अपने माल पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से बचने के लिए वियतनाम का उपयोग कर रही हैं।
- बीएमआई रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री डैरेन टाय ने बताया कि इस स्थिति के कारण अमेरिकी चुनावों के बाद वियतनाम पर टैरिफ लगाया जा सकता है।
- वियतनाम वाशिंगटन में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा चाहता है, विशेष रूप से राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा देश के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के बाद।
- 2023 में वियतनाम से अमेरिका का माल आयात कुल 114 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा, जो 2018 में अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में दोगुना से भी अधिक है।
- अमेरिकी व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वियतनाम से आयात में यह वृद्धि 2018 के बाद से चीन से आयात में आई 110 बिलियन डॉलर की गिरावट के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
- कपड़ा और विद्युत उपकरण जैसे उद्योगों में वियतनाम ने चीन की 60% से अधिक बाजार हिस्सेदारी खो दी है।
- इसके बावजूद, वियतनाम के लिए चीनी इनपुट महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सामान चीन में उत्पादित भागों और घटकों से बने होते हैं।
- इस वर्ष की पहली तिमाही में वियतनाम से अमेरिका का आयात 29 बिलियन डॉलर का था, जबकि चीन से वियतनाम का आयात 30.5 बिलियन डॉलर का था।
- ये आंकड़े पिछली तिमाहियों और वर्षों में देखे गए पैटर्न को दर्शाते हैं, तथा निकट संगत प्रवाह दर्शाते हैं।
- उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद, व्हाइट हाउस ने वियतनाम के पर्याप्त व्यापार अधिशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विश्लेषकों का सुझाव है कि नवंबर के चुनावों के बाद इसमें बदलाव हो सकता है।
- एडीबी के वियतनाम मिशन के प्रमुख अर्थशास्त्री गुयेन बा हंग का पूर्वानुमान है कि चुनाव के बाद जीतने वाली पार्टी वियतनाम के प्रति नीति में संभावित बदलाव कर सकती है, जिससे अमेरिकी आयात लागत बढ़ सकती है।

कपास और पैनल

- चीन-वियतनाम-अमेरिका व्यापार में वृद्धि, विनिर्माण आधार के रूप में वियतनाम में बढ़ते निवेश को दर्शाती है, जहां कंपनियां चीन से अपनी गतिविधियां स्थानांतरित कर रही हैं।
- इनमें से कई निर्माता चीनी कंपनियां हैं जिन्होंने उत्तरी वियतनाम में कारखाने स्थापित किए हैं, लेकिन वे चीन से आने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हैं।
- कुछ व्यापार में तैयार उत्पादों पर "वियतनाम में निर्मित" का लेबल लगा होता है, जबकि देश में उनका कोई मूल्य संवर्धन नहीं होता, जैसा कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने जांच में निष्कर्ष निकाला है, जैसे कि सौर पैनलों के मामले में।

PatriotIAS

- वियतनाम, चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जुड़े होने के कारण जांच के दायरे में है, जहां से अमेरिका ने उइगरों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के चलते आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है।
- झिंजियांग वियतनाम के उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कपास और पॉलीसिलिकॉन का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें अमेरिका को कपास परिधान और सौर पैनलों का निर्यात भी शामिल है
- अमेरिकी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, उइगरों के जबरन श्रम के जोखिम के कारण वियतनाम को सबसे अधिक मात्रा में माल अमेरिका में प्रवेश से वंचित होना पड़ा।
- पिछले वर्ष वियतनाम में चीन से कच्चे कपास का आयात 11% घटकर 214,000 टन रह गया, जबकि 2018 में यह मात्रा दोगुनी थी।
- चीन ने वियतनाम को कम से कम 1.5 बिलियन डॉलर मूल्य के सूती परिधान निर्यात किए, जो 2022 में लगभग 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- पिछले वर्ष वियतनाम से अमेरिका का सूती कपड़ों का आयात 25% घटकर 5.3 बिलियन डॉलर रह गया, हालांकि इस आंकड़े में सभी सूती वस्तुएं शामिल नहीं हो सकती हैं।
- आरएमआईटी के हंग न्गुयेन के अनुसार, झिंजियांग प्रतिबंध के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के मुख्य निर्यातक के रूप में वियतनाम, चीन से आगे निकल गया है।

वित्त वर्ष 2025 में निर्यात में 14% की वृद्धि हो सकती है (17 मई)

शीर्ष निर्यातक समूह फियो का कहना है कि इस वर्ष वस्तु निर्यात बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, क्योंकि वैश्विक मांग में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और अच्छे मानसून की संभावना से कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध हट सकते हैं।

- संगठनों के महासंघ (फियो) का अनुमान है कि इस वर्ष देश का वस्तु निर्यात बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
- यह आशावाद वैश्विक मांग में सुधार तथा अच्छे मानसून की संभावना के कारण कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंधों में संभावित ढील पर आधारित है।
- भारत का निर्यात 2023-24 में घटकर 437.1 बिलियन डॉलर रह जाएगा, जो पिछले वर्ष 451.1 बिलियन डॉलर था।
- लाल सागर में जारी संकट प्रमुख बाजारों में माल भेजने की लागत और समय को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण धातु और कमोडिटी जैसे क्षेत्रों में पहले से ही कुछ ऑर्डर रद्द हो गए हैं।
- देरी और उच्च शिपिंग लागत के कारण और अधिक ऑर्डर रद्द हो सकते हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो सकती है।
- लाल सागर संकट के कारण डिलीवरी कार्यक्रम बाधित हो रहा है तथा लंबे समुद्री मार्ग के कारण शीघ्र खराब होने वाले सामान खराब हो रहे हैं।
- निर्यातक तेजी से हवाई मार्ग से माल भेजने का विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है और इसके कारण भारत जैसे यूरोप के मार्गों पर लागत में चार गुना वृद्धि हुई है।

PatriotIAS

- फियो के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि लाल सागर संकट समुद्री माल ढुलाई और हवाई माल ढुलाई दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जिससे भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहा है।
- निर्यातकों को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक मुद्दे हैं, जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि यद्यपि निर्यात सकल घरेलू उत्पाद में 20% से अधिक का योगदान देता है, किन्तु शुद्ध बैंक ऋण में उनका हिस्सा आनुपातिक नहीं है।
- बढ़ती मुद्रास्फीति, वस्तुओं की ऊंची कीमतों तथा समुद्री एवं हवाई माल ढुलाई में असामान्य वृद्धि के कारण ऋण की मांग बढ़ गई है।
- धीमी गति से उठाव और लंबी पारगमन अवधि के कारण निर्यात भुगतान में भी देरी हो रही है, जिससे लंबी अवधि के लिए अधिक ऋण की आवश्यकता पड़ रही है।

शी और पुतिन ने संबंधों को विश्व में ' स्थिरता ' प्रदान करने वाली ताकत बताया (17 मई)

नेता ने कहा कि चीन दुनिया में निष्पक्षता और न्याय को मजबूत करने के लिए रूस के साथ काम करने के लिए तैयार है ; रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि देश एक ऐसी विश्व व्यवस्था को कायम रखते हैं जो बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है

- चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में मुलाकात की और अपने देशों के संबंधों को अराजक विश्व में स्थिरता लाने वाली ताकतों के रूप में रेखांकित किया।
- पुतिन की यह यात्रा मार्च में पुनः निर्वाचित होने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है, तथा छह महीने के भीतर उनकी दूसरी चीन यात्रा है।
- वह पश्चिम से अभूतपूर्व प्रतिबंधों के बीच यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों के लिए चीन से अधिक समर्थन चाहते हैं।
- सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर एक भव्य समारोह में शी जिनपिंग ने पुतिन का स्वागत किया।
- अपनी बैठक के दौरान शी ने पुतिन को अपना "पुराना मित्र" बताया और इस बात पर जोर दिया कि चीन-रूस संबंध शांति में योगदान देते हैं।
- शी ने कहा कि चीन विश्व में निष्पक्षता और न्याय बनाए रखने के लिए रूस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।

बहुध्रुवीय वास्तविकताएं

- श्री पुतिन ने रूस-चीन संबंधों को "अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिरता लाने वाले कारक" बताया।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये संबंध अवसरवादी या किसी अन्य देश के विरुद्ध नहीं हैं।
- पुतिन ने कहा कि चीन के साथ मिलकर रूस न्याय के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था को कायम रखता है।
- बंद कमरे में हुई बैठक के बाद पुतिन और शी ने अपने देशों की "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" को गहरा करने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए।

Patriot IAS

- यह बयान सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दिया।

आगे कोई 'बढ़ोतरी' नहीं

- यूक्रेन में सभी मोर्चों पर आगे बढ़ने के लिए रूसी सैनिकों की प्रशंसा करने के कुछ ही घंटों बाद, राष्ट्रपति पुतिन पुनः निर्वाचित होने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर बीजिंग पहुंचे।
- क्रेमलिन ने घोषणा की कि रूस और चीन यूक्रेन में संघर्ष को और बढ़ाने का विरोध करने पर सहमत हुए हैं।
- संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों देशों ने शत्रुता को बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।
- चीन ने इन आरोपों का खंडन किया है कि वह यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहा है।

स्लोवाक प्रधानमंत्री को गोली लगने के बाद 'बहुत गंभीर' हालत में (17 मई)

- स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन उनकी जान लेने की कोशिश के बाद उनकी हालत "बहुत गंभीर" बनी हुई है।
- सरकारी अधिकारियों ने गोलीबारी को "राजनीतिक हमला" बताया है, जिससे बढ़ते ध्रुवीकरण और संभावित हिंसा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
- यह घटना यूरोपीय संसद के चुनावों से कुछ सप्ताह पहले घटी, जिसके बाद शांति बनाये रखने तथा यूरोपीय संघ के चुनाव प्रचार को स्थगित करने का आह्वान किया गया।
- स्लोवाकिया का राजनीतिक परिदृश्य यूरोप समर्थकों और राष्ट्रवादियों के बीच विभाजित है, तथा हाल के चुनावों में गलत सूचना, आरोप-प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पर हमले हुए हैं।
- स्लोवाक के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सभी राजनीतिक दलों से अपने यूरोपीय चुनाव अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित करने या काफी कम करने का आग्रह किया।
- कैपुटोवा के साथ एक संयुक्त बयान में "आगे टकराव" से बचने की आवश्यकता पर बल दिया ।
- स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन उनकी जान लेने की कोशिश के बाद उनकी हालत "बहुत गंभीर" बनी हुई है।
- सरकारी अधिकारियों ने गोलीबारी को "राजनीतिक हमला" बताया है, जिससे बढ़ते ध्रुवीकरण और संभावित हिंसा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
- यह घटना यूरोपीय संसद के चुनावों से कुछ सप्ताह पहले घटी, जिसके बाद शांति बनाये रखने तथा यूरोपीय संघ के चुनाव प्रचार को स्थगित करने का आह्वान किया गया।
- स्लोवाकिया का राजनीतिक परिदृश्य यूरोप समर्थकों और राष्ट्रवादियों के बीच विभाजित है, तथा हाल के चुनावों में गलत सूचना, आरोप-प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पर हमले हुए हैं।
- स्लोवाक के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सभी राजनीतिक दलों से अपने यूरोपीय चुनाव अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित करने या काफी कम करने का आग्रह किया।

PatrioticIAS

- कैपुटोवा के साथ एक संयुक्त बयान में "आगे टकराव" से बचने की आवश्यकता पर बल दिया ।
- गोलीबारी की घटना में बच गए स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है।
- 59 वर्षीय नेता को जनता को संबोधित करते समय गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनकी जान बचाने के लिए शल्य चिकित्सकों ने घंटों सर्जरी की।
- उप प्रधानमंत्री रॉबर्ट कालिनाक ने पुष्टि की कि हालांकि श्री फीको की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन उनकी चोटें जटिल हैं।
- गोलीबारी की घटना स्लोवाकिया के हण्डलोवा में हुई , जहां पुलिस ने घटनास्थल से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया।
- श्री फीको को हवाई मार्ग से बांस्का बिस्त्रिका अस्पताल ले जाया गया, जहां दो मेडिकल टीमों द्वारा उनकी सात घंटे की सर्जरी की गई।
- वीडियो फुटेज में गोलीबारी के बाद सुरक्षा एजेंट श्री फिको को कार में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पुलिस ने पास में ही एक व्यक्ति को हथकड़ी लगा रखी है।
- प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक खेमों से होने के बावजूद, निवर्तमान राष्ट्रपति जुजाना कैपुतोवा और नव-निर्वाचित राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया में शांति और "घृणा के दुष्चक्र" को समाप्त करने का आह्वान किया।
- चार बार प्रधानमंत्री रहे श्री फीको को स्लोवाकिया की विदेश नीति को क्रेमलिन के साथ जोड़ने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

PatrioticIAS

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: इंद्रधनुष किसके कारण बनता है: (क) पृथ्वी की सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन (बी) पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और फैलाव (ग) वायुमंडल में धूल कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विवर्तन (घ) आकाश में कुछ जीवों की जैवप्रकाशिकी	उत्तर: (बी) पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और फैलाव **व्याख्या** : इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में पानी की बूंदों के साथ संपर्क करता है। सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद में प्रवेश करते ही मुड़ जाता है (अपवर्तित हो जाता है), और अपनी थोड़ी अलग गति के कारण अपने घटक रंगों (फैलाव) में अलग हो जाता है। फिर प्रकाश बूंद के पीछे से परावर्तित होकर बाहर निकल जाता है, जिससे रंगीन चाप बनता है जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं।
प्रश्न 2: इंद्रधनुष में रंगों का क्रम, सबसे भीतरी भाग से सबसे बाहरी भाग तक, हमेशा होता है: (क) लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी	उत्तर: (क) लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी **व्याख्या:** इंद्रधनुष में रंगों का क्रम हमेशा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी

(बी) बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल (c) क्रम यादृच्छिक है और विशिष्ट सूर्यप्रकाश पर निर्भर करता है (घ) कोई निश्चित क्रम नहीं है; यह पर्यवेक्षक की स्थिति पर निर्भर करता है	होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की बूंदों से गुज़रते समय प्रकाश के अलग-अलग रंग थोड़े अलग-अलग मात्रा में मुड़ते हैं। लाल रंग की रोशनी सबसे कम मुड़ती है, जबकि बैंगनी रंग की रोशनी सबसे ज़्यादा मुड़ती है।
प्रश्न 3: हिस्टेरेक्टॉमी एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित को हटाया जाता है: (क) परिशिष्ट (बी) गर्भाशय (ग) पित्ताशय (घ) गुर्दा	उत्तर: (बी) गर्भाशय **व्याख्या:** हिस्टेरेक्टॉमी शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भाशय को हटाने की प्रक्रिया है, जो महिला प्रजनन प्रणाली का वह अंग है जहां गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास होता है।
प्रश्न 4: हिस्टेरेक्टॉमी करने के कुछ सामान्य चिकित्सीय कारण क्या हैं? (ए) गंभीर मुँहासे का उपचार (बी) कैंसरग्रस्त अपेंडिक्स को हटाना (ग) भारी और अनियंत्रित मासिक धर्म रक्तस्राव का प्रबंधन (घ) टूटे पैर का उपचार	उत्तर: (सी) भारी और अनियंत्रित मासिक धर्म रक्तस्राव का प्रबंधन **स्पष्टीकरण:** हिस्टेरेक्टॉमी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं:
प्रश्न 5: वेस्ट नाइल वायरस मुख्य रूप से मनुष्यों में किसके माध्यम से फैलता है? (ए) संक्रमित जानवरों के साथ सीधा संपर्क (बी) दूषित भोजन या पानी का सेवन (ग) संक्रमित मच्छर के काटने से (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (सी) संक्रमित मादा मच्छर के काटने से **व्याख्या:** WNV मुख्य रूप से संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर संक्रमित पक्षियों को खाने से संक्रमित होते हैं, और फिर जब वे काटते हैं तो वायरस को मनुष्यों और अन्य जानवरों में फैलाते हैं।
प्रश्न 6: स्वस्थ व्यक्ति में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण के कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं? (क) हमेशा गंभीर बीमारी जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो (बी) प्रायः कोई लक्षण नहीं होते, या हल्के फ्लू जैसे लक्षण होते हैं (सी) बड़े, दर्दनाक फफोले का विकास (घ) सांस लेने में कठिनाई और सीने में दर्द	उत्तर: (बी) प्रायः कोई लक्षण नहीं होते, या हल्के फ्लू जैसे लक्षण होते हैं **व्याख्या:** WNV से संक्रमित लगभग 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते। कुछ मामलों में, बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, मतली और उल्टी जैसे हल्के फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं।
प्रश्न 7: वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण से गंभीर जटिलताएं विकसित होने का अधिक जोखिम किसे है? (क) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे (ख) कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग (बुजुर्ग या दीर्घकालिक बीमार)	उत्तर: (सी) (ए) और (बी) दोनों **व्याख्या:** यद्यपि WNV किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में एन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) या मेनिन्जाइटिस (मेनिन्जेस

PatriotICAS

(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग	की सूजन) जैसी गंभीर जटिलताएं विकसित होने का खतरा अधिक होता है।
प्रश्न 8: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है: (क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना (बी) वैश्विक तेल की कीमतों को विनियमित करना (ग) प्राकृतिक गैस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना (घ) स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश	उत्तर: (बी) वैश्विक तेल की कीमतों को विनियमित करना **व्याख्या** : ओपेक उन देशों का समूह है जिनके पास दुनिया के तेल भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका एक प्राथमिक लक्ष्य सदस्य देशों के बीच उत्पादन स्तरों का समन्वय करके वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करना है।
प्रश्न 9: ओपेक वैश्विक तेल की कीमतों को किस प्रकार प्रभावित करता है? (क) तेल के लिए सीधे निश्चित मूल्य निर्धारित करके (बी) आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए उत्पादन स्तर का सामूहिक प्रबंधन करके (ग) तेल निर्यात पर कर और शुल्क लगाकर (घ) वैकल्पिक तेल अन्वेषण तकनीकों में निवेश करके	उत्तर: (बी) आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए उत्पादन स्तर को सामूहिक रूप से प्रबंधित करके **व्याख्या:** ओपेक सीधे तौर पर तेल की कीमतें निर्धारित नहीं करता है, लेकिन यह सदस्य देशों के लिए उत्पादन कोटा पर सामूहिक रूप से निर्णय लेकर उन्हें प्रभावित करता है। जब उत्पादन प्रतिबंधित होता है, तो तेल की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसके विपरीत, उत्पादन कोटा बढ़ाने से तेल की कीमतों में कमी आ सकती है।
प्रश्न 10: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो निम्नलिखित से संबंधित है: (क) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और सीमा नियंत्रण (बी) वैश्विक स्वास्थ्य विनियम और रोग नियंत्रण (ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम और विनियम (घ) पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	उत्तर: (सी) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम और विनियम **व्याख्या:** WTO प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित और लागू करता है। इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार बाधाओं को कम करना और सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है।
प्रश्न 11: विश्व व्यापार संगठन के कुछ प्रमुख कार्य क्या हैं? (क) अलग-अलग देशों के लिए टैरिफ और कोटा निर्धारित करना (बी) सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत करना (ग) सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करना (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी **स्पष्टीकरण:** विश्व व्यापार संगठन विभिन्न कार्य करता है: व्यापार समझौतों पर बातचीत: विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के बीच व्यापार वार्ता को सुगम बनाता है, जिसका उद्देश्य टैरिफ, सब्सिडी और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना है। व्यापार नियमों को लागू करना: विश्व व्यापार संगठन निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए एक ढांचा स्थापित करता है और सदस्य देशों द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

Patriotic IAS

	व्यापार विवादों का समाधान: विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों को परामर्श और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के माध्यम से व्यापार विवादों को निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

PatriotICIAS